राजस्थान सरकार

उद्यान आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

(Ph. +91 141 2227606 e-mail: jdh.css.hort@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः प 21(40)नि.उ./रांबामि/जिला/2026–27/ दिनांकः

उप निदेशक उद्यान, समस्त।

विषयः– वर्ष 2026–27 में मिशन फॉर इन्टीग्रेटेड डवलपमेन्ट ऑफ हॉर्टीकल्चर के तहत राष्ट्रीय बागवानी मिशन के योजना दिशा–निर्देशो के कम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मिशन फॉर इन्टीग्रेटेड डवलपमेन्ट ऑफ हॉर्टीकल्चर के तहत राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के वर्ष 2026–27 में कियान्वयन हेतु योजना दिशा–निर्देश संलग्न कर भिजवाये जा रहे है। योजना के तहत पौध रोपण सामग्री उत्पादन हेतु छोटी नर्सरी की स्थापना, फार्म गेट/इण्टिग्रेटेड पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज का नवीनीकरण, कोल्ड रूम, राइपनिंग चेम्बर, प्राईमरी/सैकेन्डरी प्रोसेसिंग यूनिट, फ्रूट राइपनिंग चेम्बर आदि परियोजना आधारित कार्यक्रमो हेतु आंवटित लक्ष्यों के विरूद्व परियोजना प्रस्ताव सक्षम स्वीकृति हेतु उद्यान आयुक्तालय को प्रस्तुत किये जाने होंगे।

अतः निर्देशित किया जाता है कि योजना के तहत विभिन्न गतिविधियों का कियान्वयन वर्ष 2026–27 हेतु जारी दिशा–निर्देशानुसार सुनिश्चित करते हुये योजना कार्यक्रमो की प्रगति को प्रत्येक माह की 3 तारीख तक एम. पी.आर. पोर्टल पर अपलोड करावें। साथ ही एम.आई.डी.एच. सुरक्षा पोर्टल पर माहवार प्रगति अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें। इस हेतु योजना दिशा–निर्देशो में यदि कोई परिवर्तन होता है तो पृथक से अवगत करवा दिया जायेगा।

संलग्नः उपरोक्तानुसार ।

(श्वेता चौहान)
आयुक्त उद्यानिकी
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प 21(40)नि.उ./रांबामि/जिला/2026–27/ दिनांकः

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त उद्यानिकी, उद्यान आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर।
4. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, हॉर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी,....................।
5. संयुक्त शासन सचिव कृषि (ग्रुप–1) विभाग शासन सचिवालय, राज0 जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक उद्यान, उद्यान आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर।
7. मुख्य लेखाधिकारी उद्यान, उद्यान आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक उद्यान, मु./सीएसएस/वि./कीट/नर्सरी/अनु./सीओई, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक उद्यान खण्ड समस्त।
10. उप निदेशक उद्यान, मु./पौध व्याधि/विस्तार/नर्सरी/सांख्यिकी, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर।
11. आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर।

आयुक्त उद्यानिकी
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref No.:
22762753

Signed by: SHWETA CHAUHAN,
Commissioner
Date: 2026-06-10
18:11:08 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार

मिशन फॉर इन्टिग्रेटेड डवलपमेन्ट ऑफ हॉर्टीकल्चर

उप योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन

दिशा–निर्देश

2026–2027

उद्यान विभाग, राजस्थान, जयपुर

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	कार्यक्रम	पेज संख्या
1	सामान्य निर्देश	3–4
2	पौध रोपण सामग्री का उत्पादन	5–6
3	नए उद्यानो की स्थापना	7–8
4	स्ट्राबेरी के नये बगीचों की स्थापना	9
5	पुराने बगीचो का जीर्णोद्धार	10–11
6	मशरूम उत्पादन	12
7	फूलों के नये बगीचों की स्थापना	13
8	मसाला फसलों का नया क्षेत्र विस्तार	14
9	औषधीय फसलों का नया क्षेत्र विस्तार	15
10	जलस्रोत का विकास	16–19
11	संरक्षित कृषि	20–26
12	वर्मीकम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना	27–28
13	मधुमक्खी पालन	29–31
14	उद्यानिकी में यांत्रिकरण	32–33
15	मानव संसाधन विकास कार्यक्रम	34–35
16	समन्वित फसलोत्तर प्रबन्धन	36–46
17	सब्जी उत्पादन (प्याज/लहसुन फसल) अनुदान दिशा–निर्देश	47
18	हाईब्रिड सब्जी उत्पादन अनुदान दिशा–निर्देश	48
19	सेमीनार/वर्कशॉप	49
परिशिष्ट–1	अनुदान/सहायता प्राप्त करने का आवेदन प्रपत्र	50
परिशिष्ट–2	फलदार पौधों की जीवितता सत्यापन हेतु प्रपत्र	51
परिशिष्ट–3	आदान परमिट प्रपत्र	52
परिशिष्ट–4	जल स्रोत मापदण्ड	53–65
परिशिष्ट–5	फूलो की सांकेतिक लागत	66
परिशिष्ट–6	हाई वैल्यु बेजिटेबल्स की सांकेतिक लागत	67
परिशिष्ट–7	हाई वैल्यु बेजिटेबल्स परिपत्र	68–69
परिशिष्ट–8	मधुमक्खी कॉलोनी के स्पेसिफिकेशन	70–71
परिशिष्ट–9	मधुमक्खी माइग्रेशन अधिकृति आदेश	72
परिशिष्ट–10	मधुमक्खी माइग्रेशन प्रमाण पत्र	73
परिशिष्ट–11	कृषक प्रशिक्षण लागत का मदवार विवरण	74
परिशिष्ट–12	प्याज भण्डारण डिजाईन	75
परिशिष्ट–13	जिला स्तर सेमीनार के आयोजन का मदवार विवरण	76
परिशिष्ट–14	राज्य स्तर सेमीनार के आयोजन का मदवार विवरण	77
परिशिष्ट–15	फल बगीचा स्थापना हेतु पौध अंतराल एवं लागत	78–81

एकीकृत बागवानी विकास मिशन उप योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन
दिशा–निर्देश

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत बागवानी फसलों–फलो, सब्जियों, मसालो एवं फूल व औषधीय एवं सुगंधीय पौधों के सर्वांगिण विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे है। योजनान्तर्गत क्षेत्र विशेष की कृषि जलवायुवीय स्थितियों में तुलनात्मक रूप से सर्वाधिक उपयुक्त एवं संभावना वाली बागवानी फसलों को वर्तमान एवं भविष्य की मांग को देखते हुये सघन रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। योजनान्तर्गत बागवानी फसलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं आनुवांशिक उन्नयन के लिए उच्च प्रौद्योगिकियों को अपनाकर मुख्य रूप से उत्पादन, उत्पादकता व फसल उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा फसलोत्तर प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। योजना अन्तर्गत कृषि, किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान प्रावधान अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन दिशा–निर्देश निम्नानुसार है–

1. सामान्य निर्देशः

- योजना कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जिलेवार चयनित फसलों/आंवटित लक्ष्यों के अनुसार किया जावेंगा।
- योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन संघन क्लस्टर के रूप में किये जाने हेत कृषकों का चयन यथासम्भव समूह के रूप में किया जावें।
- योजना काय्रक्रमों के क्रियान्वयन में यथासम्भव स्थानीय स्तर पर पंचायत राज संस्थाओं एवं महात्मा गांधी नरेगा योजना से समन्वय स्थापित किया जावें।
- योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के तहत अनुदान हेतु आवेदन ऑन लाइन के माध्यम से प्रस्तुत किये जावेंगे।
- पौध रोपण सामग्री/बीज के अतिरिक्त अन्य सभी आदान ग्राम सेवा सहकारी समिति/क्रय–विक्रय सहकारी समिति/लेम्पस/पैकस के माध्यम से उपलब्ध कराये जावे। कार्यालय स्तर से कोई आदान कय नही किया जायेगा ।
- सहकारी समिति/क्रय–विक्रय सहकारी समिति/लेम्पस/पैकस से आदान उपलब्ध कराने हेतु कृषि अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक द्वारा कृषक को फसल विशेष की सिफारिश अनुसार परमिट जारी किया जायेगा ।
- परमिट/सिफारिश अनुसार कृषक हिस्सा राशि सहकारी समिति में जमा करवायी जाकर कार्यक्रम के प्रावधान अनुसार आदान स्वयं कृषक के द्वारा प्राप्त किये जायेंगे।
- योजना अर्न्तगत कीटनाशी रसायिन कृषि विभाग द्वारा रजिस्टर्ड निर्माता कम्पनियों में से प्राथमिकता से 'ए' व 'ब' श्रेणी पाये गये निर्माताओं के उपलब्ध कराये जावें। 'ए' व 'ब' श्रेणी के कीटनाशी रसायन निर्माताओं के पास उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी की पूर्व अनुमति से अन्य श्रेणी के कीटनाशी रसायन उपलब्ध कराये जा सकेंगे।
- योजना कार्यक्रम अर्न्तगत कृषक द्वारा क्रय किये गये आदान का सहकारी संस्था द्वारा जारी बिल के पृष्ठ भाग पर स्वयं कृषक से आदान प्राप्ती प्रमाणित करवायी जाकर हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी प्राप्त किया जावे।

- अनुदान क्लेमस् का कार्यालय द्वारा सत्यापन उपरांत बिल प्राप्त होने के अधिकतम एक माह में संस्था को आर.टी.जी.एस. द्वारा भुगतान सुनिश्चत किया जावें।
- कृषक सहकारी संस्थाओं से शत् प्रतिशत लागत पर आदान क्रय करके भी अनुदान के क्लेम्स विभाग को प्रस्तुत कर सकेंगे, ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा कृषक को क्लेम्स प्राप्ति के पश्चात अधिकतम 15 दिवस में अनुदान राशि का भुगतान आर.टी.जी.एस. के द्वारा किया जायेगा ।
- योजना कार्यक्रमों के तहत स्वीकृत अनुदान राशि सीधे ही लाभार्थी के खाते में आर.टी. जी.एस.के माध्यम से जमा कराई जायेगी।
- योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति व 12 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति व 30 प्रतिशत महिला कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा।
- योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिये आवेदन करने वाले वास्तविक आवेदक की मृत्यु होने की स्थिति में अनुदान राशि वास्तविक आवेदक के उत्तराधिकारी को देय होगी। इस हेतु लाभार्थी को उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- कृषक के स्वंय की मालिकाना हक की भूमि पर योजना का लाभ देय होगा। रजिस्टर्ड लीज पर अनुदान देय नहीं होगा।
- परियोजना आधारित समस्त कार्यक्रम जिला अधिकारी/खण्ड अधिकारी/आयुक्तालय को प्रस्तुत किये जा सकेंगे तथा परियोजना प्रस्ताव की एक प्रति सम्बधित जिला कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध करायी जावे। जिला अधिकारी प्रस्ताव प्राप्त होने पर परियोजना स्थल का निरिक्षण कर मय फोटोग्रफ अपनी टिप्पणी से आयुक्तालय को अवगत कराया जायेगा।
- सम्बंधित जिला कार्यालय द्वारा योजना के तहत लाभार्थियो की कृषक श्रेणीवार डिजीटलाइज्ड सूची तैयार की जायेगी।
- कृषको द्वारा आवेदन किये जाने वाले वित्तीय वर्ष के योजना प्रावधान लागू नहीं होकर जिस वित्तीय वर्ष में कृषक को लाभान्वित किये जाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा रही है उस वित्तीय वर्ष के योजना प्रावधान लागू होंगे।
- योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यकमों के तहत FRA Patta Holders हेतु 90 प्रतिशत अनुदान देय है।
- योजनान्र्तगत विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन हेत कृषकों का चयन FIFO (पहले आओ पहले पाओ) प्रकिया द्वारा किया जावें।

2. पौध रोपण सामग्री का उत्पादन (Production of Planting Material)

पौध रोपण सामग्री की उत्पादन क्षमता व गुणवत्ता में वृद्वि के लिये छोटी नर्सरी स्थापना पर अनुदान देय है।

छोटी नर्सरीः

छोटी नर्सरी की लागत प्रति हेक्टेयर 20.00 लाख निर्धारित की गयी है। निजी क्षेत्र में एक लाभार्थी को 0.4 हैक्टयर से अधिकतम 1 हेक्टेयर क्षेत्र में नर्सरी स्थापना हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10.00 लाख रूपये प्रोरेटा बेसिस पर क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडिड अनुदान देय है।

नर्सरी को उच्च गुणवता युक्त फलों के 25000 पौधे प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष वानस्पतिक प्रसारण (Vegetative Propagation) विधि से तैयार करने आवश्यक होंगे। छोटी नर्सरी स्थापना हेतु निम्न सुविधाये विकसित की जायेगीः–

1. उन्नत किस्मों का मातृ वृक्ष ब्लॉक प्राकृतिक वेन्टीलेटेड ग्रीन हाउस सिंचाई सुविधाये
2. हाईटेक ग्रीन हाऊस जिसमें, फौगिंग तथा छिड़काव की सिंचाई प्रणालियां लगी हो।
3. हार्डनिंग/रख–रखाव हेतु कीट रोधी, 35 प्रतिशत लाईट स्क्रीनिंग व सूक्ष्म छिड़काव सिंचाई प्रणाली युक्त शेडनेट हाऊस
4. सिंचाई हेतु पम्प हाऊस
5. मृदा उपचार के लिये स्टरलाईजेशन प्रणाली।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत नर्सरी में बुनियादी सुविधाओं के विकास का सांकेतिक मॉडल निम्नानुसार हैः–

कम्पोनेंट/कार्य	नर्सरी क्षेत्रफल अनुसार बुनियादी सुविधा सांकेतिक मॉडल (राशि लाख रूपयों में)	
मातृ वृक्ष ब्लांक का रखरखाव व अन्य सहायक सुविधाये		1
शैडनेट हाउस (वर्गमीटर)	1000	7.1
हाईटेक ग्रीन हाउस मय कीट रोधी नैटिंग, फौगिंग व सिंचाई प्रणालियां (वर्गमीटर)	500	6
नर्सरी उपकरण/औजार		0.5
सिंचाई सुविधा		1.25
सिचाई पम्प हाऊस व जल भण्डारण टैंक का निर्माण		2.5
मृदा उपचार– बायलर्स स्टीम स्टरलाईजेशन प्रणाली		1.65
कुल योग		**20.00**

प्रक्रियाः

1. निजी क्षेत्र में हाई–टेक (मॉडल) व छोटी नर्सरी स्थापना के लिये आवेदक (संस्था/कृषक/कम्पनी) को भू–स्वामित्व (Consolidated land) दस्तावेज, नर्सरी पर विकसित की जाने वाली सुविधाओं के विवरण सहित लागत एस्टीमेट, वित्तीय विश्लेषण इत्यादि के साथ विस्तृत परियोजना प्रस्ताव मय बैंक ऋण स्वीकृति पत्र (टर्म लोन) व शपथ–पत्र के साथ जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी को प्रस्तुत करने होगें।

जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी द्वारा अभिशंषा के साथ प्रस्ताव राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी, उद्यान निदेशालय, जयपुर को प्रस्तुत किया जायेगा।

2. नर्सरी स्थापना के लिये बैंक ऋण अनिवार्य है। इस हेतु परियोजना लागत का लगभग 70–75 प्रतिशत बैंक ऋण स्वीकृति पत्र (Term loan sanction letter) सलंग्न करना होगा।
3. योजना प्रावधान अनुसार परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होने पर राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी द्वारा नर्सरी के बुनियादी ढांचे की सुविधायें विकसित करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति (LOI) जारी की जायेगी।
4. आवेदक को नर्सरी सुविधायें विकसित करने का कार्य 6 माह की समयावधि में पूर्ण किया जाकर राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी (आर.एच.डी.एस.), जयपुर को अवगत कराया जायेगा।
5. खण्डीय संयुक्त/उप निदेशक उद्यान, उप/सहायक निदेशक उद्यान एवं कृषि अधिकारी व सम्बंधित कृषि पर्यवेक्षक द्वारा सयुक्त निरीक्षण किया जाकर भौतिक सत्यापन रिर्पोट अनुसार अनुदान राशि आवेदनकर्त्ता के बैंक अनुदान आरक्षित खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।
6. अनुदान राशि 3 वर्ष की लॉक इन अवधि पूरी होने के पश्चात बेक एंडिड प्रक्रिया से अन्त में समायोजित की जायेगी।
7. पौध रोपण सामग्री की आवश्यक्ता के अनुसार नर्सरी बहु–फलीय या किसी एक फल विशेष के लिये स्थापित की जा सकेगी। परियोजना प्रस्ताव में फलों व किस्मों के नाम को स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। नर्सरी पर उच्च गुणवत्तायुक्त पौधों का मातृ वृक्ष ब्लॉक स्थापित करना अनिवार्य होगा। इसके लिये मातृ पौधें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों या राज्य/केन्द्र सरकार के अनुसंधान केन्द्रों से प्राप्त करने होंगे।
8. नर्सरी को मातृ वृक्ष व उत्पादित पौध रोपण सामग्री का रिकॉर्ड संधारित करके रखना होगा व इसकी प्रगति से राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी, उद्यान निदेशालय, जयपुर को अवगत करवाना होगा।
9. नर्सरी के प्रस्तावों में बुनियादी ढांचें की सुविधाओं के साथ–साथ फैन्सिंग, सर्विस रोड़ (कच्ची/पक्की), आवश्यक उपकरण आदि भी सम्मिलित किये जा सकेंगे।
10. नर्सरियां बीज और रोपण सामग्री से सबंधित लागु नियमों के अंतर्गत विनियमित होगी।
11. आवेदक को प्रस्तावित नर्सरी में पौध रोपण सामग्री उत्पादन के लिये आवश्यक हाली–माली, तकनीकी जानकारी रखने वाले दक्ष व्यक्ति रखने होंगे।
12. नर्सरी पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन से अनुदानित का बोर्ड जिस पर स्थापना का वर्ष, कुल लागत, मातृ वृक्षों की किस्म/फसल इत्यादि की जानकारी अंकित करना होगा व पौधों की किस्मवार विक्रय दर का बोर्ड लगाना होगा।
13. नर्सरीयों को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से एक्रेडिशन करवाना होगा।
14. राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी या इसके द्वारा अधिकृत संस्था द्वारा नर्सरी का समय–समय पर निरीक्षण किया जा सकेगा।
15. नर्सरी द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशानुसार परियोजना प्रस्ताव का क्रियान्वयन नहीं करने व पौधें उत्पादन कार्य बन्द करने की स्थिति में राज्य सरकार के नियमानुसार अनुदान राशि वापस ली जा सकेगी
16. अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में क्षेत्रफल की निचली सीमा 0.4 हैक्टर होगी।

3. नए उद्यानों की स्थापना (Establishment of new gardens):

राष्ट्रीय बागवानी मिशन अर्न्तगत बागवानी फसलों के लागत मापदण्ड अनुसार नये क्षेत्र विस्तार/नये बगीचों की स्थापना पर अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। बागवानी फसलों जैसे– आम, अमरूद, अनार, नीम्बू, मौसमी, किन्नौं, आवला, बैर, पपीता आदि के नए फल बगीचों की स्थापना हेतु देय अनुदान का विवरण निम्नानुसार है :–

<table>
<tr><th>क. स.</th><th>फल का नाम</th><th>इकाई लागत बिना ड्रिप सिंचाई (राशि रूपयें)</th><th>अनुदान (राशि रूपयें)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>पपीता, बेल, बैर, आवला, सीताफल, जामुन, करोंदा, चीकू, कटहल आदि</td><td>राशि रूपये 75000/हैक्टर, ड्रिप लगाया जाना अनिवार्य है, जिस पर पृथक से PDMC योजना में अनुदान देय है।</td><td>इकाई लागत का 40 प्रतिशत प्रोरेटा बेसिस अधिकतम 2 हैक्टेयर तक अनुदान 2 वर्ष में देय है।
प्रथम वर्ष में सहायता राशि का 60 प्रतिशत एवं द्वितिय वर्ष में 80 प्रतिशत पौधें जीवित होने की दशा में 40 प्रतिशत राशि प्लान्टिंग मैटेरियल एवं अन्य आदानों पर व्यय के पेटे देय है।</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2</td><td>आम, अमरूद, नीबू, मौसमी, सन्तरा, किन्नौं, अनार, लीची।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>I. सामान्य अन्तराल (Regular spacing)</td><td>राशि रूपयें 125000/हैक्टर, ड्रिप लगाया जाना अनिवार्य है, जिस पर पृथक से PDMC योजना में अनुदान देय है।</td><td rowspan="2">इकाई लागत का 40 प्रतिशत प्रोरेटा बेसिस अधिकतम 2 हैक्टेयर तक अनुदान 2 वर्ष में देय है।
प्रथम वर्ष में सहायता राशि का 60 प्रतिशत एवं द्वितिय वर्ष में 80 प्रतिशत पौधें जीवित होने की दशा में 40 प्रतिशत राशि प्लान्टिंग मैटेरियल एवं अन्य आदानों पर व्यय के पेटे देय है।</td></tr>
<tr><td>II. उच्च संघनता (High density)</td><td>राशि रूपयें 200000/ हैक्टर, ड्रिप लगाया जाना अनिवार्य है, जिस पर पृथक से PDMC योजना में अनुदान देय है।</td></tr>
</table>

*फल बगीचा स्थापना हेतु निर्धारित स्पेसिंग अनुसार ईकाई लागत परिशिष्ट.......पर संलग्न है।

कृषक चयन:

1. फल बगीचों की स्थापना हेतु कृषकों का चयन यथासम्भव समूह में किया जावें।
2. कृषकों के चयन में यथासम्भव पंचायत राज संस्थाओं का सहयोग लिया जाकर महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम से समन्वय किया जावे।
3. चयनित कृषक के पास सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो।
4. कृषक आधुनिक फसल उत्पादन तकनीक व बूंद–बूंद सिंचाई अपनाने पर सहमत हो।

अनुदान प्रक्रिया:

1. एक कृषक/लाभार्थी को प्रोरेटा बेसिस पर अधिकतम 2.0 हैक्टेयर क्षेत्र के लिये अनुदान देय होगा।
2. नये फल बगीचे स्थापना आवेदन–पत्र के साथ ड्रिप संयत्र स्थापना हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
3. फल बगीचों की स्थापना के लिये फसल विशेष की सिफारिश अनुसार निर्धारित दूरी पर निश्चित आकार के गड्डे खुदवाये जाने होंगे।
4. गड्डे भरने में उपयोग आने वाले आदान उर्वरक एवं पौध संरक्षण रसायन आदि स्वंय कृषक के स्तर से उपयोग किये जा सकेंगे। कृषक के स्तर से उपयोग नही करने पर निर्धारित प्रपत्र में कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी/कृषि अधिकारी के द्वारा परमिट

काट कर सहकारी संस्थाओं के माध्यम से अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जायेंगे । कृषक के स्वंय के स्तर से उपयोग करने पर शपथ–पत्र लिया जावेगा।

5. नये फल बगीचों स्थापना में कृषक के स्तर से उपयोग की गयी गोबर की खाद (FYM) कृषक हिस्सा राशि के रूप में स्वीकार्य होगी। गोबर की खाद की दर 5.00 रूपये प्रति किलोग्राम होगी, जिसकी वास्तविक गणना स्थानीय स्तर पर की जायेगी।
6. नये फल बगीचों की स्थापना में ड्रिप संयंत्र लगाना अनिवार्य रहेगा। ड्रिप संयंत्र की स्थापना के बाद ही कृषकों को फलदार पौधे उपलब्ध कराये जावेंगे। जनजाति क्षेत्र के कृषको की छोटी जोत के मध्यनजर कम क्षेत्र में बगीचे स्थापना पर बूंद–बूंद सिचाई संयत्र की अनिवार्यता से छूट रहेगी ।
7. ड्रिप संयंत्र की स्थापना बिना फल बगीचे स्थापना पर अनुदान उपलब्ध नहीं कराया जावेगा।
8. फलो में नीबूं के बीजू/टिश्यू कल्चर तकनिकी से उत्पादित पौधों के अलावा अन्य सभी फल बगीचे स्थापना में ग्राफटेड/कलमी पौध रोपण सामग्री का उपयोग किया जायेगा।
9. नये फल बगीचों की स्थापना हेतु परिवहन व रोपण के समय मोर्टेलिटी के पेटे प्रति इकाई निर्धारित पौधों की सख्या से 10 प्रतिशत अधिक पौधे (110%) उपलब्ध कराये जायेगें।
10. नये फल बगीचे स्थापना पर अनुदान फलवार इकाई लागत को आधार मानते हुये अनुदान राशि सीमा के अध्यधीन डी.बी.टी. द्वारा सीधे किसान के खाते में किया जाकर कृषक को सूचना दी जावे।
11. हाई डेनसिटी प्लानटिंग में पौध रोपण के साथ कैनोपी मैनेजमेंट के बारे में कृषक को तकनिकी जानकारी/प्रशिक्षण दिया जावे।
12. नये फल बगीचो की साइट पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, कुल क्षेत्रफल, फसल व किस्म का नाम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
13. कृषक फल बगीचों की स्थापना हेतु राजहंस नर्सरीयों एवं सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स से उत्पादित पौधों को प्राथमिकता से लिया जावें एवं अनुपलब्धता की स्थिति में कृषि विश्वविद्यालय/सम्बद्व कृषि महाविद्यालय/कृषि अनुसंधान केन्द्र/कृषि विज्ञान केन्द्र/राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड, केन्द्र/राज्य सरकार एवं अन्य राजकीय संस्था अथवा निजी एक्डिटेड नर्सरीयों प्राथमिकता से पौधे क्रय कर बगीचा लगाता है, तो उसे नियमानुसार अनुदान देय होगा।
14. अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में एक कृषक/लाभार्थी को प्रोरेटा बेसिस पर अधिकतम 2.0 हैक्टेयर क्षेत्र के लिये 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा।

4. स्ट्रॉबेरी के नए फल बगीचों की स्थापना

राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत नए बगीचों की स्थापना में वर्ष 2026–27 स्ट्रॉबेरी फसल पर अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। स्ट्रॉबेरी के नये फल बगीचों की स्थापना पर देय अनुदान का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. स.	फल का नाम	इकाई लागत बिना ड्रिप सिंचाई (राशि रूपयें)	अनुदान (राशि रूपयें)
1	स्ट्रॉबेरी	राशि रूपये 2.0 लाख/हैक्टर, ड्रिप लगाया जाना अनिवार्य है, जिस पर पृथक से PDMC योजना में अनुदान देय है।	इकाई लागत का 40 प्रतिशत प्लान्टिंग मैटेरियल एवं अन्य आदानों पर एक किस्त में प्रोरेटा बेसिस अधिकतम 2 हैक्टेयर तक अनुदान देय है।

कृषक चयनः

1. फल बगीचों की स्थापना हेतु कृषकों का चयन यथा सम्भव समूह में किया जावें।
2. कृषकों के चयन में यथासम्भव पंचायत राज संस्थाओं का सहयोग लिया जाकर महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम से समन्वय किया जावे।
3. चयनित कृषक के पास सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो।
4. कृषक आधुनिक फसल उत्पादन तकनीक व बूंद–बूंद सिंचाई अपनाने पर सहमत हो।

अनुदान प्रक्रियाः

1. एक कृषक/लाभार्थी को प्रोरेटा बेसिस पर अधिकतम 2.0 हैक्टेयर क्षेत्र के लिये अनुदान देय होगा।
2. नये फल बगीचे स्थापना आवेदन–पत्र के साथ ड्रिप संयत्र स्थापना हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. स्ट्रॉबेरी फसल में उपयोग आने वाले आदान उर्वरक एवं पौध संरक्षण रसायन आदि स्वंय कृषक के स्तर से उपयोग किये जा सकेंगे। कृषक के स्तर से उपयोग नही करने पर निर्धारित प्रपत्र में कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी/कृषि अधिकारी के द्वारा परमिट काटकर सहकारी संस्थाओं के माध्यम से अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जायेंगे। कृषक के स्वंय के स्तर से उपयोग करने पर शपथ–पत्र लिया जावेगा।
4. अनुदान राशि सीमा के अध्यधीन डी.बी.टी. द्वारा सीधे किसान के खाते में किया जाकर कृषक को सूचना दी जावे।
5. कृषक प्लान्टिंग मैटेरियल हेतु राजहंस नर्सरियों एवं सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स से उत्पादित पौधों को प्राथमिकता से लिया जावें एवं अनुपलब्धता की स्थिति में कृषि विश्वविद्यालय/ सम्बद्व कृषि महाविद्यालय/कृषि अनुसंधान केन्द्र/कृषि विज्ञान केन्द्र/राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड, केन्द्र/राज्य सरकार एवं अन्य राजकीय संस्था अथवा निजी एक्रिडेटेड नर्सरीयों से पौधे क्रय कर बगीचा लगाता है, तो उसे नियमानुसार अनुदान देय होगा।
6. अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में एक कृषक/लाभार्थी को प्रोरेटा बेसिस पर अधिकतम 2.0 हैक्टेयर क्षेत्र के लिये 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा।

5. पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार (Rejuvenation of senile orchards):

फल बगीचों में जीर्ण व पुराने पेड़ों को हटाकर इनके स्थान पर नए स्टाक को पुनः रोपित करके उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रम शुरू करने पर लागत का 40 प्रतिशत एवं एक लाभार्थी को अधिकतम 2 हैक्टेयर तक प्रोरेटा बेसिस पर अनुदान देय है ।

Rejuvenation of senile orchards		
1. Removal of dead/dying/old plants	10,000 रू. / है0	प्रोरेटा बेसिस पर इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 2 हैक्टेयर के लिए अनुदान देय है।
2. Top working & gap filling with new plants	10,000 रू. / है0	
3. Cost of input towards nutrient management, pest management and irrigation	40,000 रू. / है0	

अनुदान प्रक्रियाः

1. कार्यक्रम अन्तर्गत ऐसे फल बगीचे जिनमें पर्याप्त पोषण के अभाव अथवा कीट–व्याधि के प्रकोप के कारण उत्पादकता कम हो गयी या पौधों की संख्या कम है, का जीर्णोद्धार / पुर्नस्थापन किया जायेगा।
2. सर्वप्रथम ऐसे बगीचे जिनकी उत्पादकता कम हो गयी है का चिन्हीकरण किया जावेगा।
3. बगीचों में वांछित वृक्ष सघनता, संख्या, पर्याप्त पोषण, शस्य क्रिया प्रबंधन एवं उत्पादन गुणवत्ता में सुधार के लिये फल बगीचों की जीर्णता / कम उत्पादकता के आधार पर निर्णय किया जाकर जीर्णोद्धार / पुर्नस्थापन पर अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा ।
4. जीर्णोद्धार / पुर्नस्थापन हेतु पुराने बगीचों को आर्थिक रुप से उपयोगी बनाने के लिये निम्न कार्य करवाये जा सकेंगे:–
    - पुर्नरोपण एवं अन्तर रोपण के लिये पौध रोपण सामग्री।
    - पुराने वृक्षों की कटाई छंटाई एवं शस्य क्रियाओं को अपनाने के लिए।
    - उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व एवं वृद्धि नियामक हारमोंस आदि।
    - पौध संरक्षण रसायन–रासायनिक एवं जैविक कीटनाशी, फफूंदनाशी।
    - कटाई छटाई एवं शस्य क्रियाओं के लिये उद्यानिकी टूल्स।
5. पुर्नरोपण एवं अन्तर रोपण के लिये गुणवत्ता युक्त पौध रोपण सामग्री 40 प्रतिशत अनुदानित दर पर उपलब्ध करायी जायेगी। अन्य आदान कृषकों को क्रय विक्रय सहकारी समिति / ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे।
6. अनुदान की गणना के लिये बगीचे में किये जाने वाले सभी कार्यों का आंकलन करके उन पर व्यय होने वाली राशि व श्रम की राशि (प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित) तय की जावें। इसमें मजदूरी व आदानों की खरीद दोनों सम्मिलित की जा सकेगी।
7. कृषक द्वारा किये गये कार्यों के पेटे श्रम की राशि व गोबर की खाद की राशि को कृषक हिस्सा राशि मानते हुये अन्य आदान कृषक द्वारा सहकारी संस्थाओं से क्रय करके बिल प्रस्तुत करने पर अनुदान राशी कृषक के बैंक खाते में हस्तांतरित की जावें।

8. फलदार पौधे व बगीचे की आवश्यकता के अनुरूप कार्यों का शिड्यूल बनाकर कृषकों से कार्य पूर्ण करवाते हुये प्रमाणीकरण उपरांत अनुदान राशि का भुगतान किया जावें।
9. जीर्णोद्वार किये गये फल बगीचों पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, कुल क्षेत्रफल, फसल व किस्म का नाम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
10. अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में एक कृषक/लाभार्थी को प्रोरेटा बेसिस पर अधिकतम 2.0 हैक्टेयर क्षेत्र के लिये 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा।

6. मशरूम उत्पादनः

मशरूम की खेती को बढ़ावा देने हेतु मशरूम उत्पादन, स्पॉन व कम्पोस्ट इकाई हेतु निम्नानुसार अनुदान देये है।

कार्यक्रम	अनुमानित लागत	देय अनुदान राशि
मशरूम उत्पादन इकाई	30.00 लाख रूपये	परियोजना लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 12.00 लाख रूपये प्रति इकाई क्रेडिट लिंक बैक एंडिड अनुदान।
स्पॉन बनाने की इकाई	20.00 लाख रूपये	परियोजना लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 8.00 लाख रूपये प्रति इकाई क्रेडिट लिंक बैक एंडिड अनुदान।
कम्पोस्ट इकाई	30.00 लाख रूपये	परियोजना लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 12.00 लाख रूपये प्रति इकाई क्रेडिट लिंक बैक एंडिड अनुदान।

1. निजी क्षेत्र में मशरूम इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने हेतु आवश्यक मशीनरी व बुनियादी ढांचागत सुविधाएं और इससे सबंधित उपकरणों व स्थापित की जाने वाली स्पॉन व कम्पोस्ट इकाईयो के विवरण सहित प्लांट व मशीनरी का पूर्ण विवरण, लागत एस्टीमेट, वित्तीय विश्लेषण इत्यादि के साथ विस्तृत परियोजना प्रस्ताव, बैंक ऋण स्वीकृति पत्र, भू-स्वामित्व दस्तावेज व शपथ-पत्र के साथ प्रस्ताव जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी के माध्यम से राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी, जयपुर को प्रस्तुत करने होंगे।
2. परियोजना प्रस्ताव की लागत की कुल का लगभग 50-75 प्रतिशत तक का बैंक ऋण (बैंक टर्म लोन) लेना अनिवार्य होगा। यह ऋण अनुदान राशि से अधिक होना चाहिये।
3. परियोजना प्रस्ताव के सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावेगी। आवेदक द्वारा इकाई स्थापना का कार्य अधिकतम एक वर्ष अवधी में पूर्ण किया जाना होगा।
4. आवेदक द्वारा परियोजना में प्रस्तावित गतिविधीयों की प्रशासनिक स्वीकृति अनुसार कार्य पूर्ण करके जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी/राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी को अवगत कराया जायेगा। आर.एच.डी.एस. द्वारा निर्धारित कमेटी की भौतिक सत्यापन रिर्पोट अनुसार अनुदान राशि जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी द्वारा आवेदनकर्त्ता के बैंक अनुदान आरक्षित खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।
5. अनुदान राशि 3 वर्ष की लॉक इन अवधि पूरी होने के पश्चात बेक एंडिड प्रक्रिया से अंत में समायोजित की जायेगी।
6. इकाई पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदानित, स्थापित वर्ष, कुल लागत, मशीनरी का विवरण इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
7. अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा।

7. फूलों के नये बगीचों की स्थापनाः

1. फूलो के नये क्षेत्र विस्तार हेतु कृषक को अधिकतम 2.0 हैक्टर क्षेत्र के लिये प्रोरेटा बेसिस पर देय अनुदान निम्न प्रकार है–

फसल	अनुमानित लागत	देय अनुदान (रू. प्रति है.)
लूज फ्लावर (देसी गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी, गैलार्डिया आदि.)	50,000 रू. / है0	लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 20,000 / हैक्टेयर।

2. चयनित कृषकों को फूलों की खेती में अपनाये जाने वाली शस्य क्रियाओं, फूलों के विपणन, रख–रखाव एवं उपयोग आदि की जानकारी के लिये तकनिकी साहित्य उपलब्ध कराया जावें।
3. बीज / प्लान्टिंग मेटेरियल विभागीय सिफारिश के अनुसार राजहंस नर्सरीयों एवं सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स, कृषि विश्वविद्यालय / सम्बद्व कृषि महाविद्यालय / कृषि अनुसंधान केन्द्र / कृषि विज्ञान केन्द्र / राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड, केन्द्र / राज्य सरकार एवं अन्य राजकीय संस्था अथवा निजी एक्रिडेटेड नर्सरीयों से प्राथमिकता से क्रय करने एवं स्वयं के स्तर से बीज क्रय कर क्रय बिल प्रस्तुत करने एवं फूलों के बगीचों की स्थापना करने पर नियमानुसार अनुदान देय होगा। संबंधित उप निदेशक उद्यान के निर्देशानुसार खाद, उर्वरक एवं पौध संरक्षण रसायन आदि आदान सहकारी समितियों से उपलब्ध कराये जावें।
4. उर्वरक यथासम्भव कृषक के खेत की मिट्टी एवं पानी की जांच करवाकर सिफारिश अनुसार प्रयोग कराये जावें।
5. अनुदान राशि सर्वप्रथम पौध रोपण सामग्री व राशि शेष रहने पर अन्य आदानों पर उपलब्ध करायी जावें।
6. कृषक के स्तर से उपयोग की गयी गोबर की खाद (FYM) व वर्मी कम्पोस्ट दर की गणना क्रमशः 5.00 रूपये प्रति किलोग्राम व 7.50 रूपये प्रति किलो से की जावे।
7. नये स्थापित फूलों के बगीचों पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, कुल क्षेत्रफल, फसल व किस्म का नाम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
8. स्थापित फूलों के बगीचों का भौतिक सत्यापन संबंधित सहायक कृषि अधिकारी / कृषि पर्यवेक्षक द्वारा करने के उपरान्त कृषक को अनुदान भुगतान किया जायेगा।
9. अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में एक कृषक / लाभार्थी को प्रोरेटा बेसिस पर अधिकतम 2.0 हैक्टेयर क्षेत्र के लिये 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा।

8. मसाला फसलों का नया क्षेत्र विस्तारः

प्रक्रियाः

1. मसाला फसलों का क्षेत्र विस्तार जहां गत वर्ष खेती नही की गयी हो, पर करवायी जावें।
2. कृषकों को फसल विशेष के लिये पैकेज ऑफ प्रेक्टिसेज का लीफलेट/साहित्य उपलब्ध कराया जावें।
3. एक कृषक को प्रोरेटा बेसिस पर अधिकतम 2 हैक्टेयर क्षेत्र तक मसाला फसलों के नये क्षेत्र विस्तार पर अनुदान देय होगा।
4. कृषकों को बीज एवं आदानों की कुल लागत 50,000/– रूपये का 40 प्रतिशत अधिकतम 20,000/– रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान देय होगा। बीज, समन्वित पोषक तत्व/कीट व्याधि प्रबंध इत्यादि आदानों की लागत पर अनुदान देय होगा।

आदान व्यवस्था

1. बीज/कन्द एवं Prophylatic Measures के रूप में लिये जाने वाले बीज उपचार के रसायन/बायो एजेंट व ऐसे उपादान जिनका प्रदर्शन किया जाना है कृषकों से 60 प्रतिशत अंशदान प्राप्त कर उपलब्ध कराये जायेंगे।
2. **उप निदेशक उद्यान के निर्देशानुसार बीज राजहंस नर्सरीयों एवं सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स, कृषि विश्वविद्यालय/सम्बद्व कृषि महाविद्यालय/कृषि अनुसंधान केन्द्र/कृषि विज्ञान केन्द्र/राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड, केन्द्र/राज्य सरकार एवं अन्य राजकीय संस्था से** सहकारी संस्थाओ के माध्यम से क्रय करवाकर कृषको को उपलब्ध कराया जायेगा।
3. उप निदेशक उद्यान के निर्देशानुसार उर्वरक, पौध संरक्षण व अन्य आदान/उपादान निर्धारित प्रपत्र में कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी/कृषि अधिकारी के द्वारा परमिट काटकर सहकारी संस्थाओ के माध्यम से 40 प्रतिशत अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जायेंगे।
4. कृषकों द्वारा सहकारी संस्थाओ से शत् प्रतिशत लागत पर आदान क्रय कर अनुदान के क्लेम्स विभाग को प्रस्तुत करने पर अनुदान राशि का भुगतान आर.टी.जी.एस. के द्वारा कृषकों को किया जायेगा।
5. कृषक 60 प्रतिशत अंशदान आपूर्ति संस्था को जमा कराकर आदान प्राप्त करने की स्थिति में अनुदान राशि का भुगतान संम्बंधित आपूर्ति संस्था को किया जावे।
6. कृषक को आदान उपलब्ध कराने के लिये कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी, (उद्यान/कृषि) द्वारा परमिट काटा जावें (परिशिष्ट–2)।
7. अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में एक कृषक/लाभार्थी को प्रोरेटा बेसिस पर अधिकतम 2.0 हैक्टेयर क्षेत्र के लिये 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा।

9. औषधीय फसलों का नया क्षेत्र विस्तारः

औषधीय फसलों के नये क्षेत्र विस्तार हेतु कृषको को अधिकतम 1 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए प्रोरेटा बेसिस पर निम्न प्रकार अनुदान देय है :–

फसल	अनुमानित लागत	देय अनुदान (रु. प्रति हैक्टेयर)
औषधीय पौधे (मुलेठी, सतावरी, कालीहारी, सफेद मूसली, गूगल, मनजिस्ठा, कुटकी, अतीश, जटामानशी, अश्वगन्धा, ब्राहमी, तुलसी, विदारीकन्द, पीपली, चिरायता, पुष्करमूल आदि)	150000 रु. / है0	लागत का 40 प्रतिशत, अनुसूचित क्षेत्र में लागत का 50 प्रतिशत

प्रक्रियाः

1. औषधीय फसलों की खेती करने वाले इच्छुक कृषको को अनुदान का लाभ दिया जायेगा।
2. कृषकों को औषधीय फसल विशेष के लिये पैकेज ऑफ प्रेक्टिसेज का लीफलेट / साहित्य उपलब्ध कराया जावें।
3. एक कृषक को प्रोरेटा बेसिस पर अधिकतम 1 हैक्टेयर क्षेत्र तक औषधीय फसलों के नये क्षेत्र विस्तार पर अनुदान देय होगा।

आदान व्यवस्था

1. **उप निदेशक उद्यान के निर्देशानुसार औषधीय पौधो का बीज / प्लान्टिंग मैटेरियल राजहंस नर्सरीयों एवं सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स, कृषि विश्वविद्यालय / सम्बद्व कृषि महाविद्यालय / कृषि अनुसंधान केन्द्र / कृषि विज्ञान केन्द्र / राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड, केन्द्र / राज्य सरकार एवं अन्य राजकीय संस्था से** सहकारी संस्थाओ के माध्यम से कय करवाकर कृषको को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. उप निदेशक उद्यान के निर्देशानुसार उर्वरक, पौध संरक्षण व अन्य आदान / उपादान निर्धारित प्रपत्र में कृषि पर्यवेक्षक / सहायक कृषि अधिकारी / कृषि अधिकारी के द्वारा परमिट काटकर सहकारी संस्थाओ के माध्यम से 40 प्रतिशत अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जायेंगे।
3. कृषकों द्वारा सहकारी संस्थाओ से शत् प्रतिशत लागत पर आदान क्रय कर अनुदान के क्लेम्स विभाग को प्रस्तुत करने पर अनुदान राशि का भुगतान आर.टी.जी.एस. के द्वारा कृषकों को किया जायेगा।
4. कृषक 60 प्रतिशत अंशदान आपूर्ति संस्था को जमा कराकर आदान प्राप्त करने की स्थिति में अनुदान राशि का भुगतान संम्बंधित आपूर्ति संस्था को किया जावे।
5. कृषक को आदान उपलब्ध कराने के लिये कृषि पर्यवेक्षक / सहायक कृषि अधिकारी, (उद्यान / कृषि) द्वारा परमिट काटा जावें (परिशिष्ट–2)।

10. जलस्रोतों का विकास (Creation of water resources):

राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत बागवानी फसलों को जीवन रक्षक सिचाई (Life saving Irrigation) सुनिश्चित करने हेतु प्लास्टिक/आरसीसी लाईनिंग के साथ ऑन फार्म पॉण्डस/ऑन फार्म वाटर रेजरवायर्स के माध्यम से जलस्रोत विकास पर निम्नानुसार अनुदान देय है।

अ. सामूदायिक जल स्त्रोतों का विकास:

कृषक समूह द्वारा 10 हैक्टेयर क्षेत्र के कमाण्ड हेतु 100X100X3मीटर साईज के ऑन फार्म पौण्डस/ऑन फार्म वाटर रेजरवायर्स के निर्धारित BIS मापदण्ड की न्यूनतम 500 माईक्रोन प्लास्टिक फिल्म/आर.सी.सी लाइनिगं से निर्माण पर इकाई लागत 24.00 लाख रूपये प्रति इकाई का 75 प्रतिशत या अन्य छोटी साइज के जल स्त्रोत निर्माण पर कमान्ड क्षेत्र के अनुसार यथा अनुपात (प्रोरेटा बेसिस पर) अनुदान देय है। (कृषक समूह के द्वारा स्वामित्व तथा मैनेजेज्ड)

जलस्रोत चयन प्रक्रिया:

1. जलस्रोत निर्माण के लिये कृषक समूह के पास एक स्थान पर 10 हैक्टर तथा एकल कृषक के लिये कृषक के पास दो हैक्टेयर कृषि भूमि होना आवश्यक होगा। कृषक समूह के पास एक स्थान पर इससे कम भूमि होने पर भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर जल स्त्रोत का निर्माण कर सकेगा एंव आनुपातिक रूप से जल स्त्रोत का आकार भी कम किया जाकर कृषकों को सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी।
2. कृषक समूह के जलस्रोत निर्माण के लिये न्यूनतम कृषक संख्या कम से कम 3 रहेगी। इसके साथ ही जहां तक संयुक्त खातेदार का प्रश्न है पत्नी को समूह का सदस्य नहीं माना गया है। ऐसे में जमाबन्दी में पति व पत्नी दोनों का नाम दर्ज होने की स्थिति में दोनों में से एक को सदस्य मानते हुये जमाबन्दी के संयुक्त खाते में उल्लेखित पुत्र, पुत्री, भाई जो अलग परिवार के रूप में निवास कर रहे है उन्हें समूह का सदस्य माना जायेगा।
3. एकल कृषक/कृषक समूह के कृषको को भू-स्वामित्व के प्रमाण के रूप में जमाबन्दी (6 माह से पुरानी नहीं) व नक्शा ट्रेश आवेदन पत्र के साथ सलंग्न करने होंगे।
4. जलस्रोत निर्माण के लिये कृषक/कृषक समूह को उनके भू-स्वामित्व के हिस्से की भूमि उपलब्ध करानी होगी।
5. कृषक समूह को जलस्रोत निर्माण के बाद वर्षा जल संचित होने पर 10 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र के लिए 4 हैक्टर क्षेत्र अनुसार यथानुपात सूक्ष्म सिचांई विधियों के साथ उद्यानिकी फसलों की खेती का अनुबंध किया जावें व इस हेतु राष्ट्रीय सूक्ष्म सिचाई मिशन के दिशा निर्देशानुसार आवश्यक कृषक हिस्सा राशि जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी में अग्रिम जमा की जावें।
6. कृषक समूह द्वारा जमीन के रकबे के हिसाब से जलस्रोत में पानी की हिस्सेदारी रखने व रख-रखाव/मरम्मत की करवाने की सहमती का शपथ-पत्र 100 रूपये के स्टाम्प पर प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र स्वीकार किया जावें।
7. जल स्त्रोतों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रो में से वर्षा जल की आवक के अनुसार उपयुक्त साईट्स का चयन उपनिदेशक उद्यान एवं सदस्य सचिव सम्बंधित जिला हॉर्टीकल्चर

डवलपमेंट सोसायटी की अध्यक्षता की तीन सदस्यीय कमेटी जिसमें कनिष्ठ/सहायक कृषि अभियंता/सहायक निदेशक उद्यान एवं कृषि अधिकारी उद्यान सम्मिलित होंगें के द्वारा किया जावेगा। साईट चयन के समय Geographic coordinates (Latitude and longitude) मयफोटो व समय लिया जाना सुनिश्चित करें ताकि चयन स्थल का परिवर्तन नहीं हो।

8. व्यक्तिगत जल स्त्रोतों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के लिये उपयुक्त साईट्स का चयन सदस्य सचिव सम्बंधित जिला होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी एवं सहायक निदेशक उद्यान/कृषि अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी की कमेटी द्वारा किया जावेगा।
9. कमेटी द्वारा जिला स्तर पर प्राप्त जलस्रोत निर्माण आवेदन पत्रो की मौका स्थिति व इसके लिये आवश्यक दस्तावेज देखे जाकर पानी की आवक के आधार पर चयन की सिफारिश की जावेगी।
10. एकल व सामूहिक जल स्त्रोत निर्माण में निर्धारित बी.आई.एस. मापदण्ड अनुसार 500 माइक्रोन प्लास्टिक फिल्म इस संदर्भ में जारी निर्देशानुसार उपयोग करायी जावे।
11. जल स्त्रोत की खुदाई पूर्ण होने के उपरान्त जिला अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जलस्त्रोत की खुदाई का कार्य विभागीय दिशा–निर्देशानुसार/स्पेशिफिकेशन/डिजाईन अनुसार चयनित स्थान पर ही हुआ है। इसके उपरान्त संबंधित उप निदेशक उद्यान द्वारा कृषक/अनुबंधित फर्म को प्लास्टिक शीट बिछाने हेतु लिखित आदेश जारी किया जायेगा। समय–समय पर निर्माण कार्य का अवलोकन कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जलस्त्रोत का निर्माण योजना दिशा–निर्देशानुसार किया जा रहा है। जलस्त्रोत का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त जलस्त्रोत स्थल चयन, आकार, फिजीबिलिटी आदि के बारे में कोई आक्षेप नहीं लगाया जायेगा।
12. कृषक समूह/कृषक द्वारा प्लास्टिक फिल्म के साथ जल स्त्रोत निर्माण पर अनुदान का भुगतान निम्नानुसार दो स्टेज/किश्तो में किया जावेगाः–

कार्य	सहायता
जल स्त्रोत की खुदाई पूरी होने पर	20 प्रतिशत
प्लास्टिक शीट बिछावन पूर्ण होने एवं जल स्त्रोत का कार्य पूर्ण होने व अन्तिम भौतिक सत्यापन पश्चात	80 प्रतिशत

13. आर.सी.सी. लाइनिंग के साथ निर्मित किये जाने वाले जलस्रोत कीं अनुदान राशि का भुगतान निम्नानुसार 5 किस्तों में किया जावेः–

क्र.सं.	कार्य	सहायता
1	नींव (Foundation) में निर्धारित सीमेन्ट कंक्रीट रेश्यो के अनुसार फर्श का कार्य पूर्ण करने पर	30 प्रतिशत
2	जलस्रोत की चार में से एक साईड पर निर्धारित सीमेन्ट कंक्रीट रेश्यो के अनुसार कार्य पूर्ण करने पर	15 प्रतिशत
3	जलस्रोत की चार में से दूसरी साईड पर निर्धारित सीमेन्ट कंक्रीट रेश्यो के अनुसार कार्य पूर्ण करने पर	15 प्रतिशत
4	जलस्रोत की चार में से तीसरी साईड पर निर्धारित सीमेन्ट कंक्रीट रेश्यो के अनुसार कार्य पूर्ण करने पर	15 प्रतिशत

5	जलस्रोत की चार में से चौथी व अन्तिम साईड एवं जलस्रोत के चारों तरफ पैरापेट वाल पर निर्धारित सीमेन्ट कंक्रीट /पत्थर सीमेन्ट रेश्यो के अनुसार कार्य पूर्ण करने पर	25 प्रतिशत

14. उक्त प्रत्येक स्टेज का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त संबंधित जिला अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया जा कर इसकी लिखित रिपोर्ट संबंधित संयुक्त निदेशक उद्यान संबंधित खण्ड/उद्यान आयुक्तालय, जयपुर को प्रेषित की जायेगी। यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसी समय ठीक करायी जायेगी।
15. यदि कृषक/कृषक समूह द्वारा एक से अधिक किस्त का कार्य पूर्ण कर लिया हो तो उसे कार्य के अनुसार भुगतान किया जावे।
16. कृषक समूह द्वारा शपथ–पत्र में दी गयी सहमति की अवेहलना करने पर राज्य सरकार के नियमानुसार जलस्रोत पर व्यय की गयी राशि वसूल की जा सकेगी।
17. जल संग्रहण ढांचे मे एकत्रित वर्षा के पानी का ड्रिप, फव्वारा आदि जल बचत के साधनो के माध्यम से सदुपयोग सुनिश्चित किया जावें।
18. जलस्रोत निर्माण में जहां संभव हो मनरेगा के साथ कन्वरजेन्स सुनिश्चित कर कियान्वित किया जा सकेगा।

जलस्रोत निर्माण

1. जलस्रोत ढांचे का निमार्ण निर्धारित मापदण्ड (परिशिष्ट–3) अनुसार कृषक/कृषक समूह के स्वंय के द्वारा करवाया जावें।
2. जल स्त्रोत निर्माण के पर्यवेक्षण व माप का कार्य इस हेतु जारी निर्देशानुसार अभियन्ताओ के द्वारा करवाया जावे।
3. जल स्त्रोत निर्माण के समग्र पर्यवेक्षण का कार्य उप निदेशक उद्यान/ सम्बन्धित योजना प्रभारी के द्वारा किया जावे।
4. जलस्रोत निर्माण मे प्रयुक्त की जाने वाली पॉलीथीन शीट्स की गुणवत्ता बी.आई.एस. मापदण्ड के अनुसार व उसके सही ढंग से बिछावन का विशेष ध्यान रखा जावें। इसके साथ ही प्रयोग की गयी पॉलीथीन शीट्स का नमूना जिला कार्यालय में सुरक्षित रखा जावें। निर्माणकर्ता फर्म द्वारा पॉलीथीन शीट्स बिछाने से पहले कार्य की लागत राशि की नियमानुसार परफॉरमेन्स गारन्टी सम्बन्धित जिला कार्यालय में जमा कराया जाना आवश्यक होगा। उक्त परफोरमेन्स गारन्टी प्राप्त किये बिना जिला अधिकारी द्वारा अनुदान राशि का भुगतान कृषक समूह/एमपेनल्ड फर्म/एमपेनल्ड फर्म द्वारा अधिक्रत डीलर को नही किया जावें।
5. कृषक समूह को जलस्रोत निर्माण की स्वीकृति जारी करने एवं आवश्यक मापदण्ड/ प्रक्रिया से अवगत कराने के एक माह के भीतर कार्य शुरू करने की अनिवार्यता रहेगी। इस अवधि में कार्य शुरू नहीं करने पर 15 दिन का समय देकर चयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही आवश्यक रूप से अमल में लायी जायेगी।
6. जलस्रोत निर्माण के लिये अधिकतम अवधि 3 माह निर्धारित की जावे ताकि निर्धारित वित्तीय वर्ष में जलस्रोत का निर्माण पूर्ण करवाया जाकर लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके।
7. आर.सी.सी लाइनिंग के साथ निर्मित किये जाने वाले जलस्रोत निर्माण कार्य की कनिष्ठ/सहायक अभियंता द्वारा एम.बी. भरकर संबंधित हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी

को अनुदान राशि भुगतान हेतु प्रस्तुत की जावेगी। जलस्रोत का निमार्ण पूर्ण होने पर सयुंक्त निदेशक उद्यान खण्ड/सहायक निदेशक उद्यान खण्ड, उप निदेशक उद्यान, सहायक निदेशक उद्यान जिला/कृषि अधिकारी व सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक द्वारा उक्त का संयुक्त निरीक्षण किया जायेगा। सम्बन्धित जिला कलक्टर या आयुक्त उद्यान से अनुमोदन उपरान्त अधिकतम 7 दिवस में अनुदान राशि का भुगतान संबंधित कृषक समूह या संबंधित कृषक समूह की लिखित सहमति पर कृषक समूह के मुखिया/अनुबंधित फर्म के बैंक खाते में किया जावे। प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यादेश एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रति उद्यान आयुक्तालय को प्रेषित की जायेगी।

8. प्लास्टीक लाइनिंग के साथ निर्मित किये जाने वाले जलस्रोत निर्माण कार्य की कनिष्ठ/सहायक अभियंता द्वारा एम.बी. भरने की आवश्यक्ता नही होगी।
9. भौतिक सत्यापन के उपरांत जलस्रोत का निर्माण कार्य पूर्ण पाये जाने पर कमेटी द्वारा की गयी रिपोर्ट के बाद अनुदान राशि की अतिंम किश्त का भुगतान किया जावे।
10. सामुदायिक जल स्त्रोत का निर्माण कार्य पूर्ण होने व निर्धारित कमेटी द्वारा इसका भौतिक सत्यापन किये जाने के उपरान्त जिला अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित जिला कलेक्टर या निदेशक उद्यान से अनुमोदन प्राप्त कर अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा। यदि कृषक द्वारा प्लास्टिक शीट फर्म से पूर्ण कीमत का भुगतान कर क्रय की जाती है तो उक्त अनुदान राशि का भुगतान कृषक के बैंक खाते में आर.टी. जी.एस. के माध्यम से किया जायेगा। यदि कृषक द्वारा उधार में प्लास्टिक शीट फर्म से प्राप्त की जाती है तो कृषक की लिखित अभिशंषा पर उक्त अनुदान राशि का भुगतान सम्बन्धित फर्म/निर्माता को किया जा सकेगा। अनुदान राशि का भुगतान निर्माता/अनुबंधित फर्म द्वारा अधिकृत डीलर (जिसके द्वारा बिल जारी किये गये है) को किया जावेगा लेकिन इसके लिये यह आवश्यक होगा कि निर्माता/अनुबंधित फर्म द्वारा अधिकृत डीलर के माध्यम से जारी प्रत्येक बिल पर लिखित में इसकी अभिशंषा की जावें।
11. अनुबंधित फर्म द्वारा यदि किसी जिले में अधिकृत डीलर की नियुक्ति की जाती है तो उक्त अधिकृत डीलर से जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक दस्तावेज यथा अनुबंधित फर्म/निर्माता कम्पनी का नियुक्ति पत्र, फर्म का रजिस्ट्रेशन पत्र, पहचान पत्र, आधार, पी.ए.एन. आदि प्राप्त कर उक्त डीलर का रजिस्ट्रेशन किया जायेगा। उक्त रजिस्ट्रेशन हेतु जिलाधिकारी द्वारा रूपयें 10 लाख सिक्योरिटी राशि के रूप में डीलर से जमा कराये जायेगे।
12. व्यक्तिगत जल स्त्रोत का निर्माण के पूर्ण होने पर सदस्य सचिव, जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी, सहायक निदेशक उद्यान/कृषि अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाकर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
13. जलस्रोत ढांचें के चारो तरफ ढाई से तीन फीट ऊंचाई की बण्ड/दीवार/फेन्सिंग जानवरों से सुरक्षा के लिए बनाई जावें एवं जन सुरक्षा की दृष्टी से लोहे की चेन/रस्सी स्थाई रूप से जलस्रोत ढांचें में लटकाकर रखा जावें।
14. जलस्रोत पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, कुल क्षेत्रफल, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगवाया जाना अनिवार्य होगा।
15. कृषक द्वारा पूर्व में कृषि विभाग से अनुदान ले रखा है एवं उद्यान विभाग द्वारा सामुदायिक जल स्त्रोत का निर्माण करवाना चाहता है तो उस कृषक समूह को कृषि विभाग से देय अनुदान राशि को घटाकर शेष अनुदान दिया जा सकता है।
16. अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में इकाई लागत 30.00 लाख रूपये प्रति इकाई होगी।

11. संरक्षित कृषि (Protected Cultivation)

कृषि जलवायुवीय कारक–तापक्रम, आर्द्रता व सूर्य के प्रकाश को नियंत्रित करके सब्जियों, फूलों व फलों आदि उद्यानिकी फसलों की खेती हेतु पॉली हाऊस, शेडनेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग, लो–टनल, एन्टी बर्ड नेट व संरक्षित संरचना में अधिक मूल्य वाली सब्जियों एवं फूलों के बीज/पौध रोपण सामग्री पर निम्नानुसार अनुदान देय है।

(क) पॉली हाऊस एवं शेडनेट हाऊस स्थापना:

पॉली हाऊस एवं शेडनेट हाऊस निर्माण हेतु निम्नानुसार निर्धारित इकाई लागत या इस हेतु विभाग द्वारा ऐम्पेनल फर्मस की प्रस्तुत दरों में से जो भी कम हो पर वर्ष 2026–27 में 50 प्रतिशत अनुदान देय है। इसके अलावा लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कृषकों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान (Top-up subsidy) राज्य योजना मद से देय है।

कार्यक्रम	आकार (वर्ग मीटर में)	इकाई लागत (राशि रुपये प्रति वर्गमीटर)
पॉली हाऊस		
प्राकृतिक वातावरण युक्त संरचना– ट्युबुलर संरचना	(i) 500	1200
	(ii) >500-1008	1050
	(iii) >1008-2080	1000
शेडनेट हाऊस		
ट्युबुलरसंरचना	(i) 2000	710

* अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में उक्त इकाई लागत 15 प्रतिशत अधिक होगी।

इस निर्धारित इकाई लागत में राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी द्वारा निर्धारित मापदण्ड/स्पेसिफिकेशन व शर्तो अनुसार सूक्ष्म सिचाई व अन्य सुविधाओ के साथ पॉली हाउस एवं शेडनेट हाऊस निर्माण विभाग द्वारा अनुबंधित फर्मस से करवाये जाने पर अनुदान देय है।

पॉलीहाउस एवं शेडनेट हाउस निर्माण एवं अनुदान प्रक्रिया:

1. कृषक जो पॉलीहाउस/शेडनेट हाउस लगाकर उद्यानिकी फसल उत्पादन लेना चाहता है उसे लाभार्थी मानते हुये अनुदान दिया जायेगा ।
2. पॉलीहाउस व शेडनेट हाउस में अनुदान हेतु कृषक चयन की प्रणाली FIFO (पहले आओ पहले पाओ) द्वारा किया जायेगा।
3. राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं अन्य उद्यानिकी योजनाओं में पॉलीहाउस एवं शेडनेट हाउस पर अनुदान हेतु कृषि भूमि क्रय कर आवेदन करने वाले कृषको के पास, आवेदन करने की तिथि से पूर्व न्यूनतम 3 वर्षो तक कृषि भूमि का स्वामित्व होना अनिवार्य होगा। यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि कृषक कृषि भूमि क्रय करने की तिथि से 3 वर्ष पश्चात् आवेदन करने पर ही पॉलीहाउस व शेडनेट हाउस के अनुदान हेतु पात्र होगें। उक्त शर्त पैतृक जमीन पर लागू नहीं होगी।
4. प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 2000 वर्गमीटर क्षेत्र तक के लिये प्रोरेटा बेसीस पर अनुदान देय होगा। पति/पत्नि को एक इकाई मानते हुये लाभान्वित किया जायेगा।

5. पॉली हाउस/शेडनेट हाऊस का निर्माण राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी द्वारा अनुबंधित फर्मो से इस हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड एवं स्पेसिफिकेशन अनुसार करवाये जाने पर अनुदान देय होगा।
6. पॉली हाउस/शेडनेट हाउस लगाने वाले कृषक/लाभार्थी को बैंक से ऋण लेने की बाध्यता नहीं रहेगी।
7. कृषक को बैंक ऋण की आवश्यकता होने की स्थिति में उप निदेशक उद्यान के स्तर से एलओआई जारी की जायेगी। बैंक द्वारा पॉलीहाउस निर्माण लागत मे से कृषक हिस्सा राशि की सीमा तक ऋण दिया जायेगा।
8. पॉली हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण के लिये अनुदान प्रार्थना–पत्र के साथ कृषक को भू–स्वामित्व दस्तावेज, लघु/सीमान्त प्रमाण–पत्र, मिट्टी व पानी जांच रिपोर्ट एवं अनुबंधित फर्म के लागत कॉटेशन के साथ ऑन लाइन आवेदन करना होगा, उक्त समस्त दस्तावेजो का संबंधित योजना प्रभारी द्वारा गहनता से परीक्षण किया जायेगा एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कृषक द्वारा लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (जिस पर कृषको को 20 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान टॉपअप सब्सिडी के रुप में देय है) की पात्रता से संबंधित दस्तावेज सही है। उक्त अनुसार प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार जिला कार्यालय द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी। कृषक द्वारा पॉली हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण की कृषक हिस्सा राशि संबंधित जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी को जमा कराई जायेगी। जिला कार्यालय में संबंधित कृषक द्वारा कृषक हिस्सा राशि जमा कराने पर संबंधित कार्यालय द्वारा निर्माणकर्ता फर्म को लिखित में सूचित किया जायेगा। सूचित करने के 10 दिवस में निर्माणकर्ता फर्म द्वारा कार्य की लागत राशि की नियमानुसार परफॉरमेन्स गारन्टी जमा कराया जाना आवश्यक होगा। परफॉरमेन्स गारन्टी जमा कराने एवं त्रि–पार्टी अनुबन्ध के पश्चात् कार्यादेश जारी किया जायेगा।
9. कार्यादेश जारी होने के पश्चात् सम्बंधित फर्म द्वारा अधिकतम 30 दिवस में पॉली हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण सामग्री साइट पर आपूर्ति की जाकर जिला कार्यालय व कृषक को अवगत कराया जायेगा। जिला अधिकारी/योजना प्रभारी द्वारा अधिकतम एक सप्ताह में मौके पर जाकर पॉली हाउस/शेडनेट हाउस निर्माण सामग्री का निर्धारित मापदण्ड अनुसार होने का भौतिक सत्यापन (Material PV) किया जायेगा।
10. फर्म द्वारा 30 दिवस तक निर्माण सामग्री कार्य स्थल पर आपूर्ति नहीं करने पर जिला अधिकारी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति/कार्यादेश निरस्त किया जाकर कृषक की सहमति से अन्य फर्म की प्रशासनिक स्वीकृति/कार्यादेश जारी किया जावेगा।
11. निर्माण सामग्री के भौतिक सत्यापन (Material PV) के दौरान उक्त सत्यापन करने वाले जिला अधिकारी/योजना प्रभारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्माण सामग्री की आपूर्ति एवं पॉली हाउस/शेडनेट हाउस स्ट्रक्चर का फाउन्डेशन कार्य, कार्यादेश में उल्लेखित स्थान पर ही किया गया है।
12. कृषक हिस्सा राशि का भुगतान अनुबंधित फर्म/निर्माता फर्म को उक्त आइटम से सम्बन्धित पूर्ण सामग्री कृषक के खेत पर पंहुचाये जाने के 07 दिवस में कृषक की लिखित अभिशंषा एवं निर्माण सामग्री का भौतिक सत्यापन (Material PV) एवं फाउन्डेशन उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। उक्त सत्यापन के समय Geographic

coordinates (Latitude and longitude) भी लिया जाना सुनिश्चित करें ताकि चयन स्थल का परिवर्तन नहीं हो।

13. पॉली हाऊस/शेडनेट हाउस का निर्माण कार्यादेश आदेश जारी किये जाने के अधिकतम 90 दिवस में पूर्ण कर संबंधित कार्यालय में सूचित करना होगा। निर्धारित अवधी मे कार्य पूर्ण नही होने पर जिला अधिकारी द्वारा सम्बधित निर्माणकर्ता फर्म के विरूद्व सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के तहत शास्ति (Penalty) लगायी जावेगी।
14. कृषक द्वारा पॉली हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण कार्य पूर्ण कर लेने की सूचना के उपरांत अधिकतम 7 दिवस में भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित करना होगा।
15. पॉली हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण के पश्चात खण्डीय सयुंक्त निदेशक उद्यान/सहायक निदेशक उद्यान खण्ड, उप निदेशक उद्यान, सहायक निदेशक उद्यान/कृषि अधिकारी उद्यान व सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक द्वारा उक्त का संयुक्त निरीक्षण किया जायेगा।
16. पॉली हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण विभागीय दिशा–निर्देशानुसार पूर्ण होने के उपरान्त भी यदि संबंधित कृषक द्वारा उक्त के भौतिक सत्यापन में सहयोग नहीं किया जाता है या रुची नहीं ली जाती है तो ऐसी स्थिति में उक्त भौतिक सत्यापन कमेटी द्वारा सत्यापन किया जाकर अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा।
17. संयुक्त निरीक्षण की रिपोर्ट संतोषप्रद होने एवं उक्त आईटम निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाये जाने पर जिला अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर/आयुक्त उद्यान से अनुमोदन उपरान्त अधिकतम 7 दिवस में अनुदान राशि का भुगतान सम्बन्धित कृषक/निर्माता अनुबंधित फर्म को किया जायेगा। प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यादेश एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रति उद्यान आयुक्तालय को प्रेषित की जायेगी।
18. भौतिक सत्यापन के समय पॉलीहाउस/शेडनेट हाउस पूर्ण रुप से निर्मित हो उसमें आधुनिक सिंचाई पद्धति व निर्धारित मापदण्डानुसार अन्य सभी सुविधाऐं विकसित करने पर कमेटी रिपोर्ट के अध्यधीन अनुदान भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
19. अनुदान का भुगतान लाभार्थी की लिखित सहमति के आधार पर पॉली हाऊस निर्माण करने वाली कम्पनी को किया जा सकेगा।
20. पॉली हाउस/शेडनेट हाउस क्षेत्र के सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक (उद्यान/कृषि) कृषक से निरन्तर सम्पर्क में रहकर यदि कोई तकनीकी समस्या आती है तो समाधान किया जायेगा।
21. पॉली हाउस/शेडनेट हाउस पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, कुल क्षेत्रफल, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगवाया जाना अनिवार्य होगा।
22. पॉली हाउस व शेड नेट हाउस के अनुदान भुगतान को केन्द्रीयकृत किया जाकर अनुदान भुगतान की कार्यवाही सीएसएस शाखा द्वारा की जायेगी।

(ख) प्लास्टिक मल्चिंग:

उद्यानिकी फसलों में खरपतवार नियन्त्रण, जल के कुशलतम उपयोग एवं फसल उत्पाद की गुणवत्ता बढाये जाने हेतु प्लास्टिक मल्चिंग के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिये प्लास्टिक मल्च की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 20000/– प्रति हैक्टेयर की दर से

अनुदान देय है। एक लाभार्थी को अधिकतम 2 हैक्टेयर क्षेत्र हेतु प्रोरेटा बेसिस पर अनुदान उपलब्ध कराया जा सकता है। सर्वप्रथम उक्त योजना का लाभ उन कृषकों को दिया जायेगा जिनको पूर्व मे लाभान्वित नही किया गया है। उक्त योजना का लाभ वर्ष 2025–26 में लाभान्वित कृषकों को नही दिया जायेगा।

कृषक द्वारा इस हेतु विभाग द्वारा अनुबंधित फर्मस से बागवानी फसलो में प्लास्टीक मल्च उपयोग करने पर प्रति हेक्टेयर प्रयोग की गई मल्च शीट की लागत 40000/–रूपये प्रति हेक्टर या अनुबंधित फर्मस की दर दोनो मे से जो भी कम हो, का 50 प्रतिशत कृषक को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जावेगा।

अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में मल्च शीट की इकाई लागत 15 प्रतिशत अधिक होगी।

(ग) प्लास्टिक टनलः

उद्यानिकी फसलों को शीत के प्रकोप से बचाने हेतु प्लास्टिक टनल के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिये कृषक द्वारा इस हेतु विभाग द्वारा अनुबंधित फर्मस से बागवानी फसलो में लॉ–टनल उपयोग करने पर अनुमानित लागत 80/–रूपये प्रति वर्गमीटर या अनुबंधित फर्मस की दर दोनो मे से जो भी कम हो, का 50 प्रतिशत अनुदान देय है। एक लाभार्थी को अधिकतम 2000 वर्गमीटर हेतु प्रोरेटा बेसिस पर अनुदान उपलब्ध कराया जा सकता है। सर्वप्रथम उक्त योजना का लाभ उन कृषकों को दिया जायेगा जिनको पूर्व मे लाभान्वित नही किया गया है। उक्त योजना का लाभ वर्ष 2025–26 में लाभान्वित कृषकों को नही दिया जायेगा।

अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में लॉ–टनल की इकाई लागत 15 प्रतिशत अधिक होगी।

(घ) एन्टी बर्ड नेटः

उद्यानिकी फसलों में पक्षियों के नुकसान को कम करके उत्पादकता बढाये जाने हेतु एन्टी बर्ड नेट के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिये कृषक को इस हेतु विभाग द्वारा अनुबंधित फर्मस से बागवानी फसलो में एन्टी बर्ड नेट का उपयोग करने पर अनुमानित लागत 50/–रूपये प्रति वर्गमीटर का अधिकतम 50 प्रतिशत की दर से अनुदान देय है। एक लाभार्थी को अधिकतम 10000 वर्ग मीटर तक के लिये प्रोरेटा बेसीस पर अनुदान देय है।

अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में **एन्टी बर्ड नेट** की इकाई लागत 15 प्रतिशत अधिक होगी।

प्लास्टिक मल्च, लॉ–टनल, एन्टी बर्ड नेट अनुदान प्रक्रियाः

1. कृषक द्वारा अनुदान हेतु आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा।
2. एन्टी बर्ड नेट की स्थापना से पूर्व कृषक के पास स्वयं का फल बगीचा होना चाहिये जिस पर वह एन्टी बर्ड नेट लगाना चाहता है।
3. आवेदक को एन्टी बर्ड नेट व प्लास्टिक टनल हेतु आवश्यक ढांचा अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे से तैयार करना होगा जो कि स्थायी प्रकृति का होगा।

4. जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने पर कृषक द्वारा एन्टी बर्ड नेट/प्लास्टिक मल्च/लॉ–टनल टनल लगवाये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
5. कार्य पूर्ण होने की सूचना जिला कार्यालय को देने के उपरान्त जिला अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा कार्य का भौतिक सत्यापन किया जावेगा एवं भौतिक सत्यापन के उपरान्त एन्टी बर्ड नेट अनुदान राशि कृषक के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जावेगी या कृषक सहमति पत्र होने की दशा में अनुदान राशि सीधे अनुबंधित फर्म को दी जा सकेगी। प्लास्टिक मल्च एवं लो–टनल की अनुदान राशि DBT प्रक्रिया द्वारा कृषक के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जावेगी।

(ड) संरक्षित खेती कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस में हाई वैल्यू वैजिटेबल्स एवं फूलों की रोपण सामग्री व काश्त पर अनुदानः

1. संरक्षित खेती कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रीन हाउस (पॉली हाउस)व शेडनेट हाउस में हाई वैल्यू वैजिटेबल्स तथा गुलाब, जरबेरा, कार्नेशन, लिलियम फूलों की खेती करने वाले कृषकों को रोपण सामग्री व कास्त की निर्धारित कुल सांकेतिक लागत का योजना प्रावधान अनुसार 50 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार द्वारा पत्रांक F. No. 18-33/ 2014-NHM दिनांक 28.08.2014 द्वारा जारी मार्ग दर्शिका के एनेक्सर V के अनुसार देय होगा। इस सबंध में फसलों की सांकेतिक लागत परिशिष्ट–4 व 5 पर संलग्न है ।
2. कृषक/लाभार्थी को राष्ट्रीय बागवानी मिशन के संरक्षित खेती कार्यक्रम अन्तर्गत हाई वैल्यू वेजिटेबलस व फूलों की रोपण सामग्री व काश्त हेतु निर्धारित अधिकतम अनुमानित लागत (हाई वैल्यू वेजिटेबलस 150 रूपये प्रति वर्ग मीटर, कार्नेशन व जरबेरा 600 रूपये प्रति वर्ग मीटर एवं गुलाब व लिलियम 450 रूपये प्रति वर्ग मीटर) के अध्यधीन इस हेतु निर्धारित सांकेतिक लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 2000 वर्ग मीटर क्षेत्र तक के लिए अनुदान देय होगा।
   अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में इकाई लागत 15 प्रतिशत अधिक होगी।
3. इच्छुक कृषक/लाभार्थी को सांकेतिक लागत में उल्लेखित आदानों में से इस लागत के 50 प्रतिशत राशि के आदानों पर अनुदान देय होगा एवं शेष आदानों की लागत स्वयं कृषक/लाभार्थी को वहन करनी होगी। सांकेतिक लागत में पौध रोपण सामग्री की लागत फसल/किस्म विशेष के लिए फर्म्स की दर के अनुसार परिवर्तनीय होगी।
4. कृषक/लाभार्थी को सांकेतिक लागत में उल्लेखित रोपण सामग्री में हाई वैल्यू वैजिटेबल्स के तहत सीडलेस खीरे व खरबूजे की पौध रौपण सामग्री उद्यान निदेशालय स्तर से जारी पत्रांक 4106–48 दिनांक 11.10.2018 के अनुसार परिशिष्ट–8 एवं अन्य रोपण सामग्री कृषि विश्वविद्यालय/सम्बद्व कृषि महाविद्यालय/कृषि अनुसंधान केन्द्र/कृषि विज्ञान केन्द्र/राजहन्स नर्सरी/सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स/ राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड, केन्द्र/राज्य सरकार एवं अन्य राजकीय संस्था से क्रय कर खेती करता है, तो उसे नियमानुसार अनुदान देय होगा। इनके अतिरिक्त किसी अन्य संस्था से पौध रोपण सामग्री लिये जाने पर योजनान्तर्गत अनुदान देय नहीं होगा। रासायनिक उर्वरक व पौध संरक्षण रसायन सहकारी समितियों से क्रय कर बिल प्रस्तुत करने होगें तथा गोबर की खाद्य, मानव श्रम व सांकेतिक लागत में उल्लेखित अन्य

सभी सहायक कार्य स्वयं कृषक के स्तर से किये जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. इच्छुक कृषक/लाभार्थी द्वारा ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस में हाई वैल्यू वैजिटेबलस व फूलों की खेती हेतु रोपण सामग्री व काश्त के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
6. आवेदक कृषक/लाभार्थी के आवेदन अनुसार ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस निर्माण क्षेत्रफल की जांच उपरान्त जिला कार्यालय द्वारा योजना दिशा–निर्देशानुसार रोपण सामग्री व काश्त पर अनुदान हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावेगी।
7. ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस में हाई वैल्यू वैजिटेबलस व फूलों की खेती हेतु रोपण सामग्री व काश्त के लिए प्रशासनिक स्वीकृति अनुसार कृषक/लाभार्थी को रोपण सामग्री पर सांकेतिक लागत में उल्लेखित आदानों के बिल प्रस्तुत करने पर जिला कार्यालय स्तर से उप/सहायक निदेशक/कृषि अधिकारी एवं स्थानीय सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापन उपरान्त अनुदान देय होगा। रोपण सामग्री की अनुदान राशि कृषक के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से हस्तान्तरित की जावेगी।
8. कृषक/लाभार्थी के द्वारा रोपण सामग्री क्रय करके ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस में रोपण उपरान्त सांकेतिक लागत में उल्लेखित आदानों के बिल प्रस्तुत करने पर ही आवेदक को योजना प्रावधान अनुसार अनुदान देय होगा।
9. कमेटी द्वारा कृषक/लाभार्थी के यहां आपूर्ति की गई पौध रोपण सामग्री की मात्रा व गुणवत्ता तथा उपयोग में लिए गये आदानों का सत्यापन किया जावेगा।
10. सत्यापन कमेटी में उल्लेखित कार्मिकों में से किसी पद के रिक्त होने/पदस्थापन नहीं होने की स्थिति में कृषि विभाग में कार्यरत उसके समकक्ष पद के अधिकारी/कार्मिक को कमेटी में सम्मिलित किया जावेगा।
11. एक कृषक/लाभार्थी ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस के क्षेत्रफल की सीमा तक हाई वैल्यू वैजिटेबलस की पौध रोपण सामग्री व काश्त पर एक बार अनुदान के लिए पात्र होगा तथा जरबैरा, कार्नेशन, गुलाब व लिलियम फूलों की रोपण सामग्री व काश्त के लिए बहुवर्षी फसल अवधि के लिए एक बार अनुदान के लिए पात्र होगा।
12. राज्य की कृषि जलवायु स्थिति के अनुसार पौध रोपण सामग्री की गुणवत्ता, True to type अनुवांशिकता व उपयुक्तता के लिए आपूर्तिकर्ता संस्था जिम्मेदार होगी।
13. योजना कार्यक्रम अन्तर्गत आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस में खेती किये जाने वाली किस्मों की ही रोपण सामग्री आपूर्ति की जावेगी।
14. ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस में हाई वैल्यू वैजिटेबलस व फूलों की खेती की पैकेज ऑफ प्रेक्टिसेज फसल/किस्म विशेष के अनुसार आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा कृषकों को उपलब्ध कराई जावेगी।
15. ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस में हाई वैल्यू वैजिटेबलस व फूलों की खेती करने वाले कृषकों को विभाग के स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा नियमित

रूप से तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जावेगी एवं इसकी मासिक रिपोर्ट जिला कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी।

16. जिला कार्यालय द्वारा ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस की पौध रोपण सामग्री व काश्त हेतु अनुदान प्राप्त करने वाले कृषकों का पूर्ण रिकार्ड संधारित करके रखा जावेगा।
17. विभागीय दिशा–निर्देशानुसार अनुदान से निर्मित ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस में ही हाई वैल्यू सब्जियों की रोपण सामग्री व कास्त पर अनुदान देय होगा।

(च) सब्जी फसलों के लिए सपोर्ट सिस्टम :

सब्जी फसलों की **सपोर्ट सिस्टम से खेती करने के लिए** सभी श्रेणी के कृषको को ईकाई लागत 20000/–प्रति हैक्टेयर की दर से 50 प्रतिशत अनुदान देय है। एक लाभार्थी को अधिकतम 2 हैक्टेयर तक प्रोरेटा बेसिस पर अनुदान उपलब्ध कराया जा सकता है।

12. वर्मीकम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना :

जैविक आदान उत्पादन हेतु 30 फीट x 8 फीट x 2.5 फीट आकार के पक्के निर्माण के साथ वर्मी कम्पोस्ट इकाई स्थापना हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 50000/– रूपये प्रति इकाई अनुदान देय है। एच.डी.पी.ई. वर्मी बेड इकाई (12फीटx4फीटx2फीट आकार) IS 15907:2010 स्थापना हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 8000–/ रूपये प्रति इकाई आकार अनुसार यथानुपात अनुदान देय है ।

कृषक चयनः

1. जैविक आदान उत्पादन हेतु जैविक खेती के लिये चयनित कृषक/क्षेत्र के कृषकों को प्राथमिकता दी जावें।
2. कृषक के पास न्यूनतम 0.4 हैक्टेयर स्वयं की भूमि पर बागवानी फसलों की खेती किया जाना आवश्यक होगा। इसके अलावा पर्याप्त पशुधन, पानी एवं कार्बनिक पदार्थ की उपलब्धता हो ।

(क) वर्मी कम्पोस्ट इकाई/जैविक आदान उत्पादनः

1. वर्मी कम्पोस्टइकाई की स्थापना के लिये 30 फीट x 8 फीट x 2.5 फीट आकार के पक्के निर्माण के साथ वर्मी कम्पोस्ट इकाई स्थापनापर अनुदान देय होगा ।
2. शेड में काम में आने वाली सामग्री स्थानीय उपलब्धता के अनुसार स्टील, एस्बेस्टास शीट, पट्टी से बनायी जा सकती है। इसके लिये स्थाई प्रकृति की छाया सामग्री उपयोग में ली जावें।
3. पक्के शेड की ऊंचाई बीच में कम से कम 10 फिट और किनारे से 8 फिट हो।
4. एक इकाई के लिये कम से कम 60 किलों केंचुए उपलब्ध कराये जावें।
5. केचुएं एटीसी, रजिस्टर्ड गैर सरकारी संस्थान/गौशाला आदि से ही प्राप्त किये जावें।
6. प्रत्येक बेड में 400–400 ग्राम ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, एजोटोबेक्टर कल्चर एवं 1.0 किलोग्राम नीम की खल प्रयोग में ली जावें।
7. वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के लिये सहायक सामग्री जैसे– कुट्टी की मशीन, दांतली, पंजा, झारा, पाईप, फावड़ा, परात आदि उपकरण भी उपलब्ध कराये जावें।
8. जिला अधिकारी या उसके प्रतिनिधि कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा इकाई के भौतिक सत्यापन उपरांत ही अनुदान जारी किया जावें।
9. आवेदक को अनुदान राशि का भुगतान आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया जावें।
10. वर्मी कम्पोस्ट इकाई को कम से कम तीन वर्ष तक नियमित रूप से चलाये रखने के लिये 100 रूपये के स्टाम्प पर का शपथ–पत्र लिया जावें।
11. अनुदानित इकाई स्थल पर स्थाई रूप से कृषक का नाम, पिता का नाम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत अनुदानित वर्मी कम्पोस्ट इकाई एवं अनुदानित वर्ष अंकित कराया जावें। कार्यशील इकाई का फोटोग्राफ कार्यालय रिकॉर्ड में संधारित करके रखा जावें।

(ख) एच.डी.पी.ई वर्मी बेडः

1. एच.डी.पी.ईवर्मी बेड (IS15907:2010) का आकार 12 फुट लम्बाई व 4 फुट चौड़ाई एवं 2 फीट गहरा होना चाहिये।
2. वर्मी बेड के उपर छाया की व्यवस्था की जावेगी।
3. वर्मी बेड एक इकाई के लिये 10 किलों केंचुए उपलब्ध कराये जावें।
4. कृषक द्वारा निर्धारित साइज व IS15907:2010 की वर्मी बेड लिये जाने पर अनुदान राशि का भुगतान कृषक को RTGS के माध्यम से किया जा सकेगा। अनुदान राशि का भुगतान कृषक से बिल प्राप्त होने के 15 दिवस में आवश्यक रूप से कियाजावे।
5. प्रत्येक कृषक को वर्मी कम्पोस्ट इकाई/एच.डी.पी.ई वर्मी बेड में जैविक आदान उत्पादन की तकनिकी जानकारी दी जावे।

13. मधुमक्खी पालन (Bee-Keeping):

मधुमक्खी प्रजनकों द्वारा उत्पादित मधुमक्खी की श्रेष्ठ कालोनियों से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने हेतु आठ फ्रेमों वाली मधुमक्खी कॉलोनी एवं मधुमक्खी पालन बॉक्स की ईकाई लागत 4000 रूपये का 40 प्रतिशत अनुदान देय है। एक लाभार्थी को अधिकतम 50 कालोनी एवं 50 मधुमक्खी बॉक्स अनुदान देय है। मधुमक्खी पालन किट की ईकाई लागत 20,000 / सेट का 40 प्रतिशत अनुदान देय है।

कॉलोनी एवं बॉक्स व्यवस्था:

मधुमक्खी कॉलोनी एवं मधुमक्खी पालन बॉक्स कृषकों को उपलब्ध कराने के लिये जिलाधिकारियों द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जावें–

वांछित कार्यवाही	मधुमक्खी कॉलोनी	मधुमक्खी पालन बॉक्स
स्पेसिफिकेशन	एक मधुमक्खी कॉलोनी में लकड़ी के बने हुए आठ फ्रेम होते है जो एपिस मैलीफेरा प्रजाति की मधुमक्खियों के अण्डा, लार्वा, प्यूपा, एक गर्भित रानी से भरे रहते है। इनमें से कम से कम एक फ्रेम में (70 से 80 प्रतिशत तक) प्यूपा, एक में अण्डा लार्वा (70 से 80 प्रतिशत तक) भरे होने चाहिए तथा फ्रेम में शहद भी हो।	एक मधुमक्खी पालन बॉक्स में 20 फ्रेम (खाली) होते हैं जो कि डबल स्टोरी होता है। इसके नीचे के खण को ब्रूड व ऊपर के खण को हनी चैम्बर कहते हैं। दोनों में 10–10 फ्रेम लगे होते है। हनी चैम्बर के ऊपर ढक्कन लगा होता है। मधुमक्खी पालन बॉक्स के स्पेशिफिकेशन IS 1141, IS 299 एवं IS 1150 के अनुसार सुनिश्चित किये जावे।
केटेगिरी एवं सीमा	योजनान्तर्गत लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, महिला कृषक, मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण प्राप्त कृषक / मधुमक्खी पालको को लाभान्वित करने में वरीयता दी जावें। प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 50 कॉलोनी तक अनुदान दिया जा सकता है।	योजनान्तर्गत लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, महिला कृषक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण प्राप्त कृषक / मधुमक्खी पालक को लाभान्वित करने में वरीयता दी जावें। प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 50 बॉक्स तक अनुदान दिया जा सकता है।
कॉलोनी बॉक्स व्यवस्था	मधुमक्खी कॉलोनी की व्यवस्था करने के लिये उद्यान आयुक्तालय स्तर से निविदा आमंत्रित कर उपयुक्त फर्मो का पंजीकरण किया जावेगा। कृषक किसी भी पंजीकृत फर्म से मधुमक्खी कॉलोनी प्राप्त कर सकेगे।	मधुमक्खी बॉक्स की व्यवस्था करने के लिये उद्यान आयुक्तालय स्तर से निविदा आमंत्रित कर उपयुक्त फर्मो का पंजीकरण किया जावेगा। कृषक किसी भी पंजीकृत फर्म से मधुमक्खी बॉक्स प्राप्त कर सकेगे।
सत्यापन	कृषको को मधुमक्खी कॉलोनी	कृषको को मधुमक्खी पालन बॉक्स

	उपलब्ध कराते समय विभागीय स्पेशिफिकेशन (परिशिष्ट–7) के अनुरूप मधुमक्खी कॉलोनी है या नहीं का सत्यापन संबंधित कृषि पर्यवेक्षक द्वारा शत प्रतिशत किया जावें। इसी प्रकार 65% सहायक कृषि अधिकारी, 40% कृषि अधिकारी, 2% सत्यापन उप/सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जावें।	उपलब्ध कराते समय विभागीय स्पेशिफिकेशन के अनुरूप बॉक्स है या नहीं का सत्यापन संबंधित कृषि पर्यवेक्षक द्वारा शत प्रतिशत किया जावें। इसी प्रकार उपलब्ध कराई गई मधुमक्खी पालन बॉक्स का 65% सहायक कृषि अधिकारी, 40% कृषि अधिकारी, 2% सत्यापन उप/सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जावेगा।

- **मधुमक्खी पालन अन्तर्गत मधुमक्खी कॉलोनी, मधुमक्खी पालन बॉक्स एवं किटः–** मधुमक्खी पालन अन्तर्गत मधुमक्खी कॉलोनी, मधुमक्खी पालन बॉक्स एवं **किट** की व्यवस्था करने के लिये उद्यान आयुक्तालय स्तर से निविदा आमंत्रित कर उपयुक्त फर्मो का पंजीकरण किया जावेगा। 50 बी बॉक्स एवं 50 बी कॉलोनी पर कृषक किसी भी पंजीकृत फर्म से मधुमक्खी पालन किट 40 प्रतिशत अनुदान पर प्राप्त कर सकेगे।
- **परफॉरमेंस सिक्यूरिटी राशिः–** परफॉरमेंस सिक्यूरिटी राशि आपूर्ति कर्ता फर्म द्वारा जिला कार्यालय में जमा कराई जायेगी जो कि आर.टी.पी.पी के वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुरूप होगी। कॉलोनी/बॉक्स का कोई विवाद होने पर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा जाता है तो उसकी फीस संबंधित आपूर्तिकर्ता से वसूल की जावेगी।
- **मधुमक्खी प्रजाति निरीक्षण कमेटीः–** मधुमक्खी की वांछित प्रजाति कृषकों को उपलब्ध कराने के लिये समय– समय पर पंजीकृत बी–ब्रीडर्स एवं लाभांन्वित कृषकों का निरीक्षण किया जावें। इस हेतु जिले के उप/सहायक निदेशक उद्यान व जिले/संभाग में स्थित ए.टी.सी/के.वी.के. /अनुसंधान केन्द्र/सयुंक्त निदेशक उद्यान (कीट) में से किसी एक कीट वैज्ञानिक को लेकर सत्यापन किया जावें।
- **अनुदान भुगतानः–मधुमक्खी पालन से संबंधित समस्त सामग्री (बी.बॉक्स, बी कॉलोनी एव बी कीपिंग किट) के** सत्यापन पश्चात् अनुदान राशि का भुगतान 60:40 के अनुपात में 2 वर्षो में कृषक को किया जावेगा। प्रथम वर्ष में कृषक को अनुदान राशि का 60 प्रतिशत एवं द्वितीय वर्ष में अनुदान राशि का 40 प्रतिशत भुगतान पुनः सत्यापन उपरान्त मधुमक्खी जीवितता पर किया जायेगा।
- अनुबन्धित फर्म द्वारा बी–बॉक्स सप्लाई हेतु प्रत्येक जिले के लिए पृथक डिस्पेच कोड दिया जायेगा जोकि प्रत्येक बी–बॉक्स पर गुदा हुआ होना आवश्यक है। इस हेतु प्रत्येक बी–बॉक्स का पृथक सीरीयल नम्बर भी डिस्पेच कोड के साथ गुदा हुआ होना आवश्यक है। इस डिस्पेच कोड के प्रथम दो अक्षर संबंधित जिले के नाम के होंगे, इसके बाद तीन अक्षर संबंधित फर्म के नाम के होगे, उसके पश्चात् वर्ष एवं आखिर में सीरीयल नम्बर होगा। उदाहणार्थ – जयपुर जिले में फोगाट ऐपेरीज द्वारा बी–बॉक्स सप्लाई करने पर निम्नानुसार डिस्पेच कोड होगा JA PHO 25-26 - 1 साथ ही लाभर्थी कृषक का नाम भी बी–बॉक्स पर लिखवाया जाना सुनिश्चित करावें।
- अनुबन्धित फर्म द्वारा किस जिले में कितने–कितने व किन–किन कोड नम्बर के बी–बॉक्स की आपूर्ति की गई, उसकी सूचना संबंधित जिला अधिकारी एवं उद्यान आयुक्तालय को प्रेषित करना होगा।

- कृषक के पास न्युनतम 0.2 हैक्टर भु–स्वामित्व होना आवश्यक है। मधुमक्खी पालन योजना में अनुदान हेतु कृषक के स्वयं के नाम से भू–स्वामित्व नहीं होने की स्थिति में (कृषक के पिता के जीवित होने या मृत्यु पश्चात् नामान्तकरण के अभाव में) यदि आवेदक कृषक स्वयं के पक्ष भू–स्वामित्व में नोशनल शेयर धारक का प्रमाण–पत्र राजस्व विभाग/हल्का पटवारी से प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करता है तो ऐसे कृषक भी अनुदान हेतु पात्र माने जायेगे।

अनुदान प्रक्रियाः

मधुमक्खी पालक को उच्च गुणवत्ता की मधुमक्खी कॉलोनी समय पर मिले इस हेतु दिसम्बर माह तक मधुमक्खी कॉलोनियों की उपलब्धतता सुनिश्चित की जावे।

मधुमक्खी पालक माइग्रेशन पर जाने से पूर्व अपने जिले के उप निदेशक उद्यान के यहां अपना निःशुल्क पंजिकरण कराकर माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करें, ताकि सफर में अनावश्यक विलम्ब न हो। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने के दिशा–निर्देश एवं सर्टिफिकेट का प्रारूप क्रमशः परिशिष्ट 8 से 9 पर संलग्न है।

14. उद्यानिकी में यांत्रिकरण

फसल उत्पादन लागत में कमी व उत्पादकता को बढाये जाने हेतु उद्यानिकी में यांत्रिकरण कार्यक्रम के तहत कृषकों, उत्पादक सघं, कृषक समूह, स्वयं सहायता समूह, महिला कृषक समूह (कम से कम 10 सदस्य) जो बागवानी फसलों की खेती करते है को शक्ति चलित उपकरणों पर निम्नानुसार अनुदान देय है:–

क. सं.	कार्यक्रम	कुल लागत	देय अनुदान
i	ट्रेक्टर		
a)	ट्रेक्टर (Upto 20 PTO HP) 2WD	As per SMAM Norms	As per SMAM Norms
b)	ट्रेक्टर (Upto 20 PTO HP) 4WD	As per SMAM Norms	As per SMAM Norms
ii	पावर टिलर		
a)	पावर टिलर (Upto 8 BHP)	रूपये 1.00 लाख प्रति ईकाई	सामान्य कृषकों को लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रुपये 40,000/–प्रति इकाई एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमान्त, महिला कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 50000/– प्रति इकाई
b)	पावर टिलर (above 8 BHP)	As per SMAM Norms	As per SMAM Norms
iii	**Plant Protection Equipments**		
a)	Manual SprayerKnapsack/ Foot operated sprayer	As per SMAM Norms	As per SMAM Norms
b)	Powered Knapsack sprayer/Power Operated Taiwan sprayer (capacity 8 - 12 lts)	As per SMAM Norms	As per SMAM Norms
c)	Powered Knapsack sprayer/Power Operated Taiwan sprayer (capacity above 12- 16 lts)	As per SMAM Norms	As per SMAM Norms
d)	Powered Knapsack sprayer/ Power Operated Taiwan sprayer (capacity above 16/lts	As per SMAM Norms	As per SMAM Norms
e)	Tractor Operated sprayer (boom type)	As per SMAM Norms	As per SMAM Norms
f)	Tractor Operated Sprayer (air carrier/ assisted)	As per SMAM Norms	As per SMAM Norms
g)	Tractor Operated Electrostatics Sprayer	As per SMAM Norms	As per SMAM Norms
h)	Eco Friendly Light Trap	As per SMAM Norms	As per SMAM Norms

अनुदान प्रक्रियाः

1. योजनान्तर्गत कृषि यन्त्रों हेतु कृषि विभाग की जिला स्तर पर गठित कमेटी में यंत्रों का रजिस्ट्रेशन करवाकर अथवा कृषि विभाग के जिला कार्यालय स्तर पर पहले से रजिस्टर्ड यन्त्रों पर योजना दिशा–निर्देशानुसार अनुदान उपलब्ध करवाया जा सकता है।
2. ऐसे कृषि यन्त्र जो लोकल फेब्रीकेटर्स द्वारा नहीं बनाये जाते एवं जिनका BIS/ISI जारी है उन्हें इच्छुक कृषक निर्माता फर्म का कोटेशन प्राप्त कर कृषि यन्त्र सम्बन्धित जिला कार्यालय में आवेदन करके अनुदान प्राप्त कर सकेंगे।
3. कृषक द्वारा BIS/ISI प्रमाणित निर्माता फर्म से यंत्र के कोटेशन के साथ आवेदन करने पर जिलाधिकारी द्वारा प्रार्थी कृषक को कृषि यंत्र क्रय करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावेगी।
4. जिला अधिकारी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने पर कृषक द्वारा यंत्र क्रय कर इसकी सूचना जिला कार्यालय को मय मूल बिल के साथ दी जायेगी।
5. कृषक द्वारा बिल प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त जिला अधिकारी द्वारा 15 दिवस के अन्दर जिला स्तर पर कम से कम दो सदस्यीय कमेटी द्वारा यंत्र/उपकरण का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. भौतिक सत्यापन में कमेटी द्वारा यंत्र के प्रस्तुत बिल में उल्लेखित मापदण्ड अनुसार पाये जाने पर कमेटी की सिफारिश पर उद्यान विभाग के दिशा–निर्देशानुसार वित्तीय स्वीकृति जारी कर अनुदान जारी किये जाने की कार्यवाही की जावेंगी।
7. जिला स्तरीय कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन के दौरान पावर मशीनस् मय उपकरण जिस पर योजना के तहत अनुदान राशि उपलब्ध करायी जा रही के ऊपर "राष्ट्रीय बागवानी मिशन वर्ष 2023–24 से अनुदानित" अंकित करवाया जाये ।
8. योजना के तहत लाभान्वित किये जा रहे प्रत्येक लाभार्थी का यंत्र व उपकरण के साथ फोटोग्राफ लिया जाये जिसे भौतिक सत्यापन हेतु गठित कमेटी द्वारा सत्यापित किया जाये।
9. लाभार्थी से 100 रूपये के स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र लिया जाये कि वह अनुदानित पावर मशीनस् व उपकरणों न्यूनतम 5 वर्ष तक विक्रय नहीं करेगा।

15. मानव संसाधन विकास कार्यक्रम (Human Resource Development):

मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कृषको, फील्ड स्तर के कार्मिको व अधिकारियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम सम्मिलित है। प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु राज्य स्तर पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु 1000/— रूपये प्रति कृषक प्रतिदिन व्यय की जा सकेगी।

कृषक प्रशिक्षण (Farmers Training)

सामान्य निर्देशः

1. प्रशिक्षण प्रावधान अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में 50 कृषक भाग लेंगे।
2. प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन विषयवार सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स/आई.एच.आई.टी.सी/आत्मा परियोजना कार्यालय में स्थापित प्रशिक्षण कक्ष/कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि अनुसंधान केन्द्र/एटीसी पर आयोजित करवाया जावें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे की किसी भी परिस्थिति में निजी स्थल अथवा हॉटल आदि किराये पर लिये जाकर प्रशिक्षण आयोजित नही कराये जाये।
3. प्रशिक्षण के समय व तिथि का व्यापक प्रचार—प्रसार किया जावें। राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी, जयपुर को प्रशिक्षण आयोजन की तिथि की सूचना दी जावें।
4. फसल/विषय विशेष पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषकों को विषयवस्तु की गहनता से जानकारी दी जावें।
5. जिला स्तर पर प्रशिक्षण आयोजन हेतु वित्तीय प्रावधानों का मदवार विवरण जिला स्तर पर बनाया जाकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जावेगें।
6. प्रशिक्षण के दौरान किसी एक मद के व्यय में बचत आती है तो दूसरे मद में आवश्यकता होने पर बचत राशि काम में ली जा सकती है किन्तु इस बात का ध्यान रखा जावें कि प्रशिक्षण व्यय निर्धारित राशि से अधिक नहीं होवें।
7. जिला स्तर पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु साकेंतिक माडल परिशिष्ठ 10 पर संलग्न है।

कृषक चयनः

1. कृषक चयन संबंधित जिले के उप/सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जावें। कृषक चयन में नये फल बगीचे अन्य कार्यक्रम लेने वाले कृषकों को प्राथमिकता दी जावें।
2. प्रशिक्षणो के द्वारा समय—समय परयथासम्भव जिले के सभी क्षेत्र के कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित की जावें। फसल विशेष के प्रशिक्षण में प्रगतिशील कृषक जिनके द्वारा उक्त फसल ली जा रही है तथा अन्य कृषक जिनको उद्यानिकी फसलों हेतु प्रेरित किया जा सके को सम्मिलित किया जावें।
3. कृषकों के चयन में कुछ ड्रिप सिस्टम अपनाने वाले कृषकों का समावेश किया जावें, ताकि आपसी संवाद से इसकी उपयोगिता को समझ सके।
4. पशुपालन एवं डेयरी के व्यवसाय से जुड़े कम्पोस्ट/वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग करने वाले कृषकों को भी शामिल किया जावें।

5. ऐसे कृषक जो विभाग द्वारा पूर्व में इस विषय पर प्रशिक्षित किये जा चुके हो, को सम्मिलित नहीं किया जावें।

प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने वाले व्याख्यान बिन्दुः

प्रशिक्षण में संबंधित तकनिकी विषय के साथ–साथ जमीन, जल एवं जन से जुड़े विषयों पर जानकारी दी जावें। प्रत्येक प्रशिक्षण में निर्धारित विषय के साथ उस क्षेत्र की मुख्य–मुख्य उद्यानिकी फसलों के लिये जल प्रबंधन, कीट व्याधी नियंत्रण, फसलोत्तर प्रबंधन एवं बीज उत्पादन आदि के साथ निम्न बिन्दुओं के बारे में भी सामान्य जानकारी कृषकों को उपलब्ध करायी जावें।

1. मिट्टी की जांच की आवश्यकता, फसल चक्र की आवश्यकता एवं उससे लाभ, भूमि सुधार, जीवाणु खाद, हरीखाद, जिप्सम, सूक्ष्म तत्व, ट्राईकोड्रमा, राइजोबियम, एजेक्टोबेक्टर एवं पीएसबी का प्रयोग।
2. जल पुनर्भरण, जल उपलब्धता एवं उसका समुचित उपयोग ड्रिप एवं फव्वारा संयंत्रों का महत्व (सिंचाई विभाग के अधिकारियों, ड्रिप, फव्वारा निर्माता द्वारा पी.एच., ई.सी. जमीन से जल का रिश्ता)।
3. उद्यानिकी फसल उत्पादन
4. कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा देय सुविधायें।
5. रोग, उनसे बचाव एवं रोकथाम की जानकारी।
6. पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, पौष्टिक आहार, रोग उनसे बचाव एवं रोकथाम की जानकारी।
7. सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी।
8. प्रशिक्षण के दौरान प्रगतिशील कृषकों के भी विचारों की जानकारी उक्त कृषकों को दी जावें।

नोटः प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कृषकों का नाम, पता एवं दूरभाष नम्बर जिले के सहायक निदेशक उद्यान/उप निदेशक कृषि (वि) कार्यालय में रखे जावें तथा समय–समय पर उनसे दूरभाष पर सर्म्पक भी किया जावें, जाकि उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र हो सके।

16. समन्वित फसलोत्तर प्रबंधन (Integrated Post Harvest Management)

उद्यानिकी उत्पादों की फसल तुड़ाई उपरांत हानि को कम करने, खराब होने से बचाने, संरक्षित करने, गुणवत्ता बनाये रखने, सेल्फ लाईफ (shelf life) बढाने, मूल्य संवर्धन हेतु प्रसंस्करण करने, कृषको को उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलवाकर कृषको की आय में वृद्धि करने, उपभोक्ताओं को वर्ष भर ताजा एवं पौष्टिक खाद्य उपलब्ध कराने में कोल्ड चैन (Cold Chain) की महत्वपूर्ण भूमिका है। उक्त कार्यक्रम में फार्म गेट पैक हाउस, इन्टीग्रेटेड पैक हाउस, कलेक्शन एग्रीगेशन सेन्टर, प्रि–कुलिंग यूनिट, कोल्ड रुम (Staging), विभिन्न प्रकार के कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रीजरेटेड ट्रान्सपोर्ट व्हीकल, राईपनिंग चैम्बर, कम लागत के प्याज/लहसुन भण्डारण स्ट्रक्चर, प्राथमिक/न्यून प्रसंस्करण इकाई, सौलर क्रॉप ड्रायर, मूल्य संवर्धन हेतु सेकंडरी प्रासेसिंग इकाईयों की स्थापना आदि शामिल है जिन पर निम्न विवरण अनुसार सहायता देय है :–

Integrated Post Harvest Management:-

Item	Cost Norms	Pattern of Assistance
Farm Gate Packhouse with Movable Handling Trolley, Sorting Table and Farm Gate Standalone Cold Storage.	अधिकतम राशि 25 लाख प्रति इकाई (9मीटर X 6मीटर)	लागत का 50 प्रतिशत नोटः कम्पॉनेन्ट का कियान्वयन केवल NCCD के दिशा निर्देशों अनुसार किया जायेगा।
INTEGRATED PACK HOUSE with facilities of size 18m x 22m with conveyor belt sorting, grading, washing. drying, weighing scale, HPT, Stacking(crates), Dock Leveler System, Precooling (if required)#, cold room transit and Reefer van. #This is add-on component and is provided need based only in integrated mode.	अधिकतम राशि 160 लाख प्रति लाभार्थी	लागत का 35 प्रतिशत एवं अनुसूचित क्षेत्रों के लिये 50 प्रतिशत (केडिट लिंक्ड बैक एन्डेड सहायता) नोटः कम्पॉनेन्ट का कियान्वयन केवल NCCD के दिशा निर्देशों अनुसार किया जायेगा।
Cold Rooms (Staging)	अधिकतम राशि 52 लाख प्रति लाभार्थी	लागत का 35 प्रतिशत एवं अनुसूचित क्षेत्रों के लिये 50 प्रतिशत (बैंक एन्डेड सहायता)

Cold Storage Type-I is defined as CS-1 with Construction in civil including PUF/PIR panels, Doors and Ante-rooms, Refrigeration Units, Electrical Installation, Administrative block, Safety/Fire Safety and Hazard control and basic mazzenine structure (as per gudilines of NCCD)	रूपये 9600 / – प्रति मै.टन (अधिकतम 5000 मै.टन क्षमता हेतु)	लागत का 35 प्रतिशत एवं अनुसूचित क्षेत्रों के लिये 50 प्रतिशत (केडिट लिंक्ड बैक एन्डेड सहायता) नोटः कम्पॉनेन्ट का कियान्वयन केवल NCCD के दिशा निर्देशों अनुसार किया जायेगा।
Cold Storage for dry spices & raisins is defined as CS-4 with Construction in civil including PUF/PIR panels, Doors and Ante-rooms, Refrigeration Units, Electrical Installation, Administrative block, Safety/Fire Safety and Hazard control and basic mazzenine structure.	रूपये 9600 / – प्रति मै.टन (अधिकतम 5000 मै.टन क्षमता हेतु)	लागत का 35 प्रतिशत एवं अनुसूचित क्षेत्रों के लिये 50 प्रतिशत (केडिट लिंक्ड बैक एन्डेड सहायता) नोटः कम्पॉनेन्ट का कियान्वयन केवल NCCD के दिशा निर्देशों अनुसार किया जायेगा।
Refrigerated Transport vehicles	रूपये 31.00 लाख अधिकतम 14 मैट्रिक टन क्षमता हेतु, इससे कम क्षमता न्युनतम 4 मैट्रिक टन तक प्रोरेटा आधार पर अनुदान देय है।	लागत का 35 प्रतिशत एवं अनुसूचित क्षेत्रों के लिये 50 प्रतिशत (केडिट लिंक्ड बैक एन्डेड सहायता) नोटः कम्पॉनेन्ट का कियान्वयन केवल NCCD के दिशा निर्देशों अनुसार किया जायेगा।
Primary/Minimal Processing Unit (This component will be considered only integrated with other components of MIDH Scheme)	रूपये 35.00 लाख प्रति इकाई	लागत का 35 प्रतिशत एवं अनुसूचित क्षेत्रों के लिये 50 प्रतिशत (केडिट लिंक्ड बैक एन्डेड सहायता)
Non-Pressurised Ripening Chamber also termed as CS-3	रूपये 1.00 लाख प्रति मै.टन (अधिकतम 300 मै.टन)	लागत का 35 प्रतिशत एवं अनुसूचित क्षेत्रों के लिये 50 प्रतिशत (केडिट लिंक्ड बैक एन्डेड सहायता)
Pressurised Ripening Chamber also termed as CS-3	रूपये 1.20 लाख प्रति मै.टन (अधिकतम 300 मै.टन)	लागत का 35 प्रतिशत (केडिट लिंक्ड बैक एन्डेड सहायता)
Low-cost Onion/Garlic storage structure	रूपये 7000 प्रति मै. टन	5 मै. टन से 1000 मै. टन तक क्षमता की इकाई पर प्रोरेटा बेसिस पर 50 प्रतिशत बैक एन्डेड सहायता निम्न विवरण अनुसार देय है–

		5-25 MT – 10000/ MT 25-500 MT- 8000/ MT 500-1000 MT-6000/MT
Solar Crop Dryer (with 24 Hrs. Backup)	रूपये 2.50 लाख प्रति इकाई (70 किलो ग्राम क्षमता) रूपये 3.5 लाख प्रति इकाई (100 किलो ग्राम क्षमता) प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 5 इकाई पर अनुदान देय है	लागत का 40 प्रतिशत एवं अनुसूचित क्षेत्रों के लिये 55 प्रतिशत
FOOD PROCESSING		
Secondary Processing units for value addition	रूपये 100 लाख प्रति इकाई	लागत का 35 प्रतिशत एवं अनुसूचित क्षेत्रों के लिये 50 प्रतिशत
Technology induction/ modernization of Cold Storage	Max. Rs. 43.50 lakh/ project for Alternate Technology bundle, which includes: a. Vapour Absorption/ Phase Change Material (PCM)/ Solar PV panels/ Solar Thermal System. b. Labelling and Traceability System. C. Unified Control System	50% of the invoice value or maximum of Rs. 21.75 lakh per project or whichever is less. (This can be availed as Bundle all Components a, b, c)

सामान्य दिशा–निर्देश

अ. त्रिस्तरीय प्रकिया (Three Tyre System)

समन्वित फसलोत्तर प्रबंधन (समन्वित पेक हाऊस, कोल्ड स्टोरेज, राईपनिंग चेम्बर, प्री–कूलिंग इकाई, रेफ्रिजरेटेड वेन, इन्टीग्रेटेड कोल्ड चैन सप्लाई सिस्टम आदि जिनमें बैक से ऋण लेने की बाध्यता है) अन्तर्गत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने, स्वीकृत करने, भौतिक सत्यापन उपरान्त अनुदान जारी करने हेतु निम्न त्रिस्तरीय प्रक्रिया (Three Tyre System) अपनायी जायेगी।

1. **जिला स्तर** :– पात्र इच्छुक आवेदक को फसलोत्तर प्रबंध से जुडे प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु संबंधित जिले के उद्यान विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी (सहायक निदेशक उद्यान/उप निदेशक उद्यान एवं सचिव जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसाईटी) को निम्न **चेक लिस्ट** अनुसार दस्तावेजो सहित ऑन लाईन आवेदन करते हुए परियोजना प्रस्ताव की एक प्रति उद्यान निदेशालय को प्रेषित करना अनिवार्य होगा –

    i. आवेदन पत्र मय आवेदक की फोटो।

    ii. परियोजना प्रस्ताव की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर).– जो की चार्टेड अकाउन्टेट द्वारा तैयार की गयी हो व इसके प्रत्येक पृष्ठ पर चार्टेड अकाउन्टेट के हस्ताक्षर व मोहर हो मुख्यतया निम्न जानकारी के साथ प्रस्तुत करनी होगी:–

परियोजना का नाम, गतिविधि का प्रकार, उद्देश्य, परियोजना का स्थान मय पता, प्रबन्धन/मैनेजमेंट, प्रमोटर्स की संक्षिप्त पृष्ठभूमि, आवेदनकर्ता फर्म/कम्पनी की संक्षिप्त पृष्ठभूमि, परियोजना की लागत, बिल्डिंग, फ्लोर, एन्टीरूम, लॉडिंग एवं अनलॉडिंग एरिया, मेकेनाइजेशन, यूनिफाईड कन्ट्रोल सिस्टम, ऑटोमेसन, रिनूएबल ऐनर्जी, प्रशासनिक भवन, सेफ्टी एवं हेजार्ड कन्ट्रोल, प्लान्ट व मशीनरी (रेफ्रिजेशन, इन्सूलेशन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम), आदि की लागत व विस्तृत विवरण, डी.एस.सी.आर., ब्रेक इवन पोइन्ट, डी.ई. रेश्यो, अगले पांच–सात वर्ष के प्रोजेक्शन्स्, वित्त के साधन (टर्म लॉन, अनसिक्योर्ड लॉन, प्रमोटर्स शेयरस्/केपीटल/मार्जिन, अनुदान आदि), आई.डी.सी.पी., प्रीओपरेटिव व्यय, परियोजना प्रस्ताव की वाईबलिटि रिपॉर्ट फोरवर्ड व बैकवर्ड लिंकेज, आवेदक संस्था से सम्बन्धित आर्टिकल्स एवं मेमोरेण्डम ऑफ एशोसिएशन के साथ प्रासांगिक कानून व डेट ऑफ इनकार्पोरेशन, बाईलॉज, पार्टनरशीप डीड एवं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो भी लागु हो/ऑथराइज्ड/पैडअप केपिटल एवं प्रमोटर्स कन्ट्रीब्यूशन के संबंध में दस्तावेज सबूत। पार्टनशीप डीड को Competent authority (DIC) से रजिस्टर्ड करवाया जाना अनिवार्य होगा।

iii. परियोजना प्रस्ताव की ड्राईंग, ले आउट व डिजाइन– जिसमें फ्लोर की ऊँचाई एवं स्टोरेज चेम्बर का स्पष्ट उल्लेख हों (योग्यताधारी चार्टेड सिविल इंजिनीयर से प्रमाणित मय नाम पता व मोहर)

iv. भूमि संबंधी दस्तावेजः– भूमि की रजिस्ट्री, आवंटन पत्र, पट्टा आदि/लीज डीड (15 वर्ष से अधिक व सक्षम अधिकारी से रजिस्टर्ड)

v. बेसिक डेटा शीट, हीट लोड केलकुलेशन शीट, टेकनिकल परफॉरमेन्स डेटा शीट (रेफ्रीजरेशन उपकरण आदि की शीट जो कि उत्पादक द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी) ऐनर्जी एफिसिएन्सी शीट (यथा लागू):– निर्धारित प्रपत्र में होनी चाहिए व इसके प्रत्येक पृष्ठ पर चार्टेड इंजिनियर (मैकेनिकल) के हस्ताक्षर, मोहर, नाम पता व ई–मेल पता होना चाहिए जिसके द्वारा प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया है एवं जिसकी देखरेख (Supervision)में प्रोजेक्ट का निर्माण, कमिशनिंग आदि कार्य किया जायेगा। आईटम से संबंधित आवश्यक **बीआईएस, आईएसओ, आईएस, एमएनआरई** आदि के नियम व प्रावधानों की पालना आवश्यक रुप से होनी चाहिऐ।

vi. भवन नॉर्म्स से संबंधित certified structural engineer, certified architects, certified agencies, certified person द्वारा जारी संबंधित Structural safety certificate.

vii. संबंधित BIS Codes एवं standards अनुसार अग्नि सुरक्षा नॉर्म्स की पालना आवश्यक होगी। Fire Safaty clearance certificate प्रस्तुत करना होगा।

viii. संबंधित BIS Codes एवं standards अनुसार environmental clearance certificate प्रस्तुत करना होगा।

ix. उक्त के अतिरिक्त इस योजना में प्रत्येक कम्पोनेन्ट में Specific requirement अनुसार आवश्यक दस्तावेज व सूचना उपलब्ध करानी होगी।

x. बैंक लोन स्वीकृति पत्र/सैद्धांतिक बैंक लोन स्वीकृति पत्र :–बैंक ऋण देय अनुदान राशि से अधिक एवं परियोजना प्रस्ताव में उल्लेखित लागत का कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए। इसकी अवधि न्यूनतम 3 वर्ष की होनी चाहिए।

xi. शपथ पत्रः– आवेदक, पार्टनरशिप फर्म के प्रत्येक पार्टनर, कम्पनी के प्रत्येक डायरेक्टर द्वारा रूपये 500/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निधारित प्रारूप में यह शपथ पत्र दिया जायेगा कि आवेदक द्वारा इस परियोजन प्रस्ताव पर न तो किसी अन्य संस्था से अनुदान प्राप्त किया गया है एवं न ही यह परियोजना प्रस्ताव अनुदान हेतु किसी भी अन्य संस्था को प्रस्तुत किया जायेगा।

xii. आवेदक के आधार कार्ड, पेन कार्ड की स्वयं प्रमाणित छायाप्रति।

परियोजना प्रस्ताव का प्राथमिक परीक्षण :–

संबंधित जिले के उद्यान विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी (उप निदेशक उद्यान एवं सचिव जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसाईटी) द्वारा प्राप्त परियोजना प्रस्ताव का प्राथमिक परीक्षण किया जायेगा, कमी पूर्ति करवायी जायेगी व परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होने के अधिकतम 15 दिवस में उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत/अस्वीकृत करने के संबंध में निर्णय लेना होगा। यदि जिलाधिकारी द्वारा प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है तो अस्वीकृत करने के कारणों सहित आवेदक को प्रस्ताव प्राप्त होने के 15 दिवस में लिखित में सूचित करना आवश्यक होगा जिसकी सूचना उद्यान निदेशालय को भी दी जायेगी। यदि जिलाधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत योग्य पाया जाता है तो ऐसे प्रस्तावों को प्राप्त होने के 15 दिवस में स्वयं की अनुशषां सहित स्वीकृत करने हेतु उद्यान निदेशालय अग्रेषित किया जायेगा। परियोजना प्रस्ताव की एक प्रति संबंधित जिलाधिकारी द्वारा ऑफिस रिकोर्ड़ के रूप में संधारित की जावेगी।

यदि जिलाधिकारी द्वारा आवेदक से प्रस्ताव प्राप्त होनें के 15 दिवस में किसी प्रकार का निर्णय नही लिया जाता है तो उद्यान निदेशालय में गठित तकनीकी समिति द्वारा ऐसे प्रस्तावों का परिक्षण किया जाकर निदेशक उद्यान की जानकारी में लाया जाकर कमीपूर्ति करवाकर निदेशक उद्यान से अनुमोदन उपरांत आरएचडीएस की ई.सी. बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। यदि उक्त समिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकृति योग्य नही पाया जाता है तो ऐसे प्रस्तावों को आवेदक को लौटा दिया जायेगा व इसकी प्रतिलिपी सम्बंधित जिलाधिकारी को भी दी जावेगी।

2. **उद्यान निदेशालय स्तर** :– उद्यान निदेशालय स्तर पर गठित तकनीकी कमेटी द्वारा जिलाधिकारियों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का विस्तृत परीक्षण किया जावेगा :–

   उद्यान निदेशालय में गठित तकनीकी कमेटी की मासिक बैठक आयोजित की जावेगी। जिसमें जिलाधिकारियों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का विभागीय, भारत सरकार (राष्ट्रीय कोल्ड चेन विकास केन्द्र, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड) के दिशा–निर्देशों, स्पेशिफिकेशन अनुसार परीक्षण किया जायेगा। निदेशक उद्यान की जानकारी में लाया जाकर आवश्यक दस्तावेज

प्राप्त कर कमी पूर्ति करवायी जायेगी। यदि परियोजना प्रस्ताव तकनीकी कमेटी द्वारा स्वीकृत करने योग्य नही पाया जाता है तो एक माह में प्रस्ताव अस्वीकृत करने के कारणों सहित आवेदक को सूचित किया जायेगा जिसकी सूचना संबंधित जिलाधिकारी को भी दी जावेगी।

यदि तकनीकी समिति द्वारा परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत योग्य पाया जाता है तो ऐसे प्रस्तावों को निदेशक उद्यान से अनुमोदन उपरांत आर.एच.डी.एस. की ई.सी. मीटिंग में स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अग्रेषित किया जायेगा।

3. **राजस्थान हॉर्टिकल्चर डवलमेंट सोसायटी (आर.एच.डी.एस.):–**

(अ). अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/सचिव उद्यानिकी की अध्यक्षता में आर.एच.डी.एस. की ई.सी. बैठक त्रैमासिक (quarterly) रूप से आयोजित की जायेगी जिसमें उद्यान निदेशालय द्वारा अग्रेषित परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृत करने हेतु विचार–विमर्श किया जायेगा। आवश्यकता पडने पर भारत सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जायेगा। आर.एच.डी.एस. का निर्णय अंतिम होगा।

(ब).परियोजना प्रस्तावों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी किया जानाः– आर.एच.डी.एस. की ई.सी. बैठक के अधिकतम सात दिवस में उद्यान निदेशालय द्वारा बैठक कार्यवाही विवरण जारी किया जायेगा। अस्वीकृत परियोजना प्रस्तावों को कार्यवाही विवरण जारी होने के सात दिवस में कारणों सहित आवेदक को लौटा दिया जायेगा एवं अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों की शर्ताधीन प्रशासनिक स्वीकृति कार्यवाही विवरण जारी होने के सात दिवस में जारी की जायेगी जिसकी प्रतिलिपी आवेदक, ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक एवं संबंधित जिलाधिकारी को आवश्यक रूप से दी जावेगी। कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कार्य 18 माह में पूर्ण करना आवश्यक होगा। अपरिहार्य कारणों से उक्त अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण न होने पर अवधि बढाने हेतु उचित कारणो का उल्लेख करते हुये आवेदक द्वारा आवेदन किया जा सकता है जिस पर आर.एच.डी.एस. द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(स). परियोजना प्ररस्ताव का निर्माण कार्य व कार्य पूर्ण किया जानाः– लाभार्थी द्वारा स्वंय की हिस्सा राशि व बैक ऋण द्वारा निर्माण कार्य एवं आवश्यक उपकरण स्थापित कर परियोजना निर्धारित अवधी मे पूर्ण कि जावेगी। **समस्त कार्य कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, राष्ट्रीय कोल्ड चैन विकास केन्द्र, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशानुसार, निर्धारित माप दण्ड, बी.आई.एस. एवं स्पेशिकेशन अनुसार होने आवश्यक है।** सभी तरह के कानूनी/विधिक दस्तावेजों के पूर्ण पालना की आवदेक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। लाभार्थी द्वारा परियोजना का कार्य पूर्ण होने पर सम्बन्धित जिला अधिकारी को निम्न दस्तावेजो सहित सम्बन्धित जिला अधिकारी/उद्यान निदेशालय को अवगत करवाना होगा।

1. सम्बन्धित चार्टेड ऐकाउन्टेन्ट का कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र।
2. सम्बन्धित चार्टेड इन्जिनियर (सिविल) व चार्टेड इन्जिनियर (मैकेनिकल) यथा लागू का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र।
3. पूर्ण किये गऐ समस्त कार्यो के बिलो की सत्यापित छायाप्रतियॉ।

4. शपथ पत्रः— आवेदक,पार्टनरशिप फर्म के प्रत्येक पार्टनर, कम्पनी के प्रत्येक डायरेक्टर द्वारा रूपये 500/— के नॉन—ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निधारित प्रारूप में यह शपथ पत्र दिया जायेगा कि —

- आवेदक द्वारा इस परियोजन प्रस्ताव पर न तो किसी अन्य संस्था से अनुदान प्राप्त किया गया है एवं न ही यह परियोजना प्रस्ताव अनुदान हेतु किसी भी अन्य संस्था को प्रस्तुत किया जायेगा।
- जिस उद्देश्य/परियोजना प्रस्ताव के लिये अनुदान स्वीकृत किया जा रहा है प्राप्त अनुदान राशि का उपयोग उसी उद्देश्य/परियोजना प्रस्ताव हेतु किया जायेगा।
- विभागीय दिशा—निदेशों का पालन किया जाऐगा एवं उद्यान विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति में अंकित सभी शर्ते मानने के लिए फर्म बाध्य होगी।
- आवेदक द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन जिसके अन्तर्गत आवेदन किया गया है कि समस्त शर्ते, terms and conditions का अध्ययन कर लिया है एवं प्रस्तुत परियोजनाप्रस्ताव उक्त terms and conditions के अनुरूप है।
- परियोजना प्रस्ताव पूर्णत नवीन कार्यक्रम है।
- परियोजना प्रस्ताव में उलेखित समस्त तथ्य, सूचना, संलग्न दस्तावेज सही है एवं यदि भविष्य में कभी भी यह पाया जाता है कि फर्म द्वारा प्रस्तुत तथ्य, सूचना दस्तावेज सही नही है व फर्म/आवेदन द्वारा गलत प्रकार से अनुदान प्राप्त किया गया है तो उद्यान विभाग को आवेदक के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने व अनुदान राशि शास्ती व ब्याज सहित वापस लेने का अधिकार होगा।
- आवेदक उद्यान विभाग द्वारा परियोजना प्रस्ताव के क्रम में जारी दिशानिर्देशो एवं चाही गई जानकारी उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगा ।
- आवेदक द्वारा नियमित रूप से उद्यान विभाग को प्रगति से अवगत कराया जायेगा।
- परियोजना प्रस्ताव में सोर्टिंग,ग्रेडिग,पैकेजिंग,हेण्डलिंग आदि कार्य हेतु पर्याप्त स्थान रखा जायेगा।
- परियोजना प्रस्ताव मे अकिंत सभी कम्पोनेन्ट, उपकरण, कार्यक्रम, कार्य राष्ट्रीय बागवानी मिशन, MIDH भारत सरकार, राष्ट्रीय कोल्ड चेन विकास केन्द्र, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन, दिशा—निर्देशों व गाइड लाईन अनुसार लगाये जायेंगे/सम्पादित किये जायेगें।
- आवेदक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जो भी उद्यानिकी उत्पाद, फल, सब्जी आदि कॉल्ड स्टोर में भण्डारित करने हेतु रखा गया है उसका भण्डारण निर्धारित मापदण्डों व प्रकिया अनुसार उचित प्रकार से किया जायेगा ताकि उक्त उद्यानिकी उत्पाद फल, सब्जी आदि खराब नही हों।

5. लाभार्थी को स्वीकृत परियोजना के बाहर राष्ट्रीय बागवानी मिशन से अनुदानित, कार्यपूर्ण होने का वर्ष, कुल लागत, अनुदान राशि आदि के विवरण का बोर्ड लगवाना आवश्यक होगा।

   सम्बन्धित जिला अधिकारी द्वारा उपरोक्त अनुसार कार्य पूर्णता की लिखित जानकारी प्राप्त होने के 7 दिवस में उद्यान निदेशालय को अवगत कराना होगा।

(द).परियोजना प्ररस्ताव का भौतिक सत्यापन :–जिला अधिकारियों से परियोजना प्रस्ताव की कार्य पूर्णता की रिपोर्ट प्राप्त होने के 7 दिवस में उद्यान निदेशालय द्वारा संयुक्त निरीक्षण टीम (जे.आई.टी.) गठित की जायेगी। उक्त टीम द्वारा गठित होने के अधिकतम 15 दिवस में परियोजना प्रस्ताव का भौतिक सत्यापन किया जाकर भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अपनी स्पष्ट अनुशंसा सहित निदेशक उद्यान को प्रस्तुत की जावेगी ।

(य).परियोजना प्रस्तावों की वित्तीय/अनुदान स्वीकृती जारी किया जाना :– उद्यान निदेशालय द्वारा संयुक्त निरीक्षण टीम से परियोजना प्रस्ताव की संतोषप्रद भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर बजट उपलब्धता अनुसार वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर अनुदान राशि लाभार्थी के ऋण स्वीकृत करने वाले बैक में अनुदान आरक्षित कोष खाते (Subsidy reserve fund account) में हस्तांतरित की जावेगी। उक्त अनुदान राशि 3 वर्ष की लोक इन अवधि पूर्ण होने के पश्चात् बेक एंडेड प्रकिया से अन्त में समायोजित की जावेगी।

अन्य निर्देश –

1. उद्यान विभाग द्वारा राज्य में सम्पूर्ण कोल्ड चेन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष ध्यान दिया जायेगा एवं मल्टी कमोडिटी कोल्ड स्टोरेज को प्रोत्साहित किया जायेगा।
2. कोल्ड चेन से सम्बंधित उद्यानिकी फसलों के फसलोत्तर प्रबंधन गतिविधियां के प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जायेगी।
3. क्रेडिट लिंक्ड बैंक एन्डेड अनुदान अन्तर्गत समन्वित फसलोत्तर प्रबंधन कार्यक्रम की स्थापना के लिए आवश्यक (यदि कोई हो) सभी तरह के कानूनी/विधिक दस्तावेजो कि पूर्ण पालना की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
4. दिशानिर्देशों की योग्यता और व्याख्या के सम्बन्ध में उद्यान निदेशालय (राज्य बागवानी मिशन) का निर्णय लाभार्थीयों और बैकों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।
5. आवेदन करना सब्सिडी जारी करने की गारंटी नहीं है जब तक कि परियोजना प्रस्ताव राष्ट्रीय बागवानी मिशन के दिशा–निर्देश के अनुसार लागू नहीं किया जाता है एवं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार लक्ष्य एवं राशि उपलब्ध करवा दी गई हो।
6. विभिन्न घटकों की सामान्य लागत राज्य बागवानी मिशन/उद्यान निदेशालय द्वारा निर्धारित की जाएगी।

7. परियोजना के तहत भूमि क्षेत्र स्वामित्व/पट्टा (पंजीकृत) आवेदक के नाम पर सही होना चाहिए और किसी भी बर्डन से मुक्त चाहिए।
8. सब्सिडी के दावे से पहले परियोजना भूमि, योजना और बैंक इत्यादि के किसी भी बदलाव को प्रभावित करने से पहले आवेदक को राज्य बागवानी मिशन/उद्यान निदेशालय को सूचित करना होगा।
9. क्रेडिट लिंक्ड बैक एण्डेड सब्सिडी समन्वित फसलोत्तर प्रबधंन कार्यक्रम में तकनीकी मानकों, बी.आई.एस. की अनुरूपता आवश्यक है।
10. यदि आवेदक प्रोजेक्ट भूमि के संयुक्त मालिकों में से एक या कुछ है तो अन्य सह–मालिकों के एनओसी जमा किए जाएंगे।
11. अपूर्ण परियोजनाएं/एनपीए परियोजनाएं और डिफॉल्ट मामले सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगे और सब्सिडी को ऐसे मामलों में वापस ले लिया जाएगा।
12. जब भी आवश्यक हो, भौतिक, वित्तीय और परिचालन प्रगति का पता लगाने के लिए राज्य बागवानी मिशन/उद्यान विभाग के अधिकारी द्वारा परियोजना का समय–समय पर निरीक्षण किया जाएगा।
13. राज्य बागवानी मिशन को बिना कारण बताये योजना के तहत दी गई किसी भी राशि को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
14. क्रेडिट लिंक्ड बैक एण्डेड सब्सिडी समन्वित फसलोत्तर प्रबधंन कार्यक्रम स्पेशीफिकेशन एवं मापदण्ड कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, राष्ट्रीय कोल्ड चेन विकास केन्द्र, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा इसके लिये समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशानुसार एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होने आवश्यक है।
15. समय–समय पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा जारी अन्य परिचालन निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।
16. क्रेडिट लिंक्ड परियोजनाओं के लिए, पात्र सब्सिडी राशि बैंकों/एफआई द्वारा स्वीकृत सावधि ऋण से किसी भी पसिथिति में अधिक नही होगा।
17. परियोजनाओं के वे कम्पोनेन्ट उद्यमी द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव में शामिल नहीं हैं और/या बैंक मूल्यांकन नोट का हिस्सा नहीं हैं, राज्य बागवानी मिशन अन्तर्गत सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होगें।
18. बैंक तकनीकी व्यवहार्यता और वाणिज्यिक/वित्तीय व्यवहार्यता के संबंध में परियोजना का मूल्यांकन करने के मानदंडों का पालन करेंगे, तथा यह सुनिश्चित करेगें कि परियोजना नवीन है, राज्य बागवानी मिशन के दिशानिर्देशों को पूरा करता है, और प्रमोटर के पास क्लीयर लेन्ड टाईटल है।
19. भारत सरकार व राज्य सरकार के किसी विभाग/योजना से अनुदान प्राप्त नही करने का 500/– रूपये का शपथ पत्र जिसमें यह आवश्यक रूप से लिखवाया जावेगा कि प्रशासनिक स्वीकृति में अकिंत सभी शर्ते फर्म मानने के लिए बाध्य होगी। भविष्य में कभी भी यह पाया जाता है कि गलत प्रकार से अनुदान प्राप्त किया गया है तो फर्म अनुदान राशि लौटाने हेतु बाध्य होगी।
20. बैंकों को जहां भी आवश्यक हो, परियोजना के तहत बनाई गई संपत्तियों का बीमा सुनिश्चित करना चाहिए।

कम लागत की प्याज/लहसुन भण्डारण संरचना :–

1. कृषक जो प्याज/लहसुन की खेती कर रहे है एवं कम लागत की प्याज/लहसुन भण्डारण संरचना का निर्माण करना चाहता है उसे लाभार्थी मानते हुये निम्न विवरण अनुसार अनुदान दिया जा सकेगा।

Low-cost Onion/Garlic storage structure	रूपये 8000 प्रति मै. टन तक	5 मै. टन से 1000 मै. टन तक क्षमता की इकाई पर प्रोरेटा बेसिस पर 50 प्रतिशत **बैक एन्डेड सहायता** निम्न विवरण अनुसार देय है– 5-25 MT – 8000/ MT 25-500 MT- 7000/ MT 500-1000 MT-6000/MT

2. प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम एक संरचना के लिये अनुदान/सहायता देय होगी।
3. कम लागत की प्याज/लहसुन भण्डारण संरचना पर 50 प्रतिशत सहायता का प्रावधान है। यह निर्माण स्थायी प्रकृति का होगा।
4. आवेदन कृषक के स्वयं के नाम न्युनतम 0.5 हैक्टर भू–स्वामित्व होना आवश्यक होगा।
5. कम लागत की प्याज/लहसुन भण्डारण संरचना के निर्माण के लिये अनुदान प्रार्थना–पत्र के साथ कृषक को भूमि संबंधी दस्तावेज संलग्न करने होगें, जिसके आधार पर जिला कार्यालय द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जायेगी।
6. कम लागत की प्याज/लहसुन भण्डारण संरचना के निर्माण की पत्रावली पर कृषक सरंचना के साथ फोटो लगाया जायेगा तथा बिल इत्यादि पर कृषक/लाभार्थी के हस्ताक्षर करवाने होंगे। इसे भौतिक सत्यापन करते समय सुनिश्चित किया जायेगा।
7. कम लागत की प्याज/लहसुन भण्डारण संरचना का निर्माण कृषक के द्वारा स्वयं किया जावेगा।
8. कम लागत की प्याज/लहसुन भण्डारण संरचना की 25 मै0 टन क्षमता निर्माण की डिजाईन परिशिष्ठ 16 पर संलग्न है एवं क्षमता विस्तार के अनुसार उक्त डिजाईन में विस्तार किया जा सकता है।
9. कृषक द्वारा ट्रेक्टर ट्रोली से प्याज/लहसुन उतराई एवं भराई के मध्यनजर कृषक की सुविधा हेतु प्याज/लहसुन भण्डारण इकाई के मध्य रास्ते की चौडाई 4 फीट अथवा 8 फीट कर दोनो ही साइज अनुसार प्याज/लहसुन भण्डारण इकाई का निर्माण करने पर अनुदान देय होगा।

   25 मै0 टन हेतु सांकेतिक लागत का विवरण निम्नानुसार है:–

क्रं. सं.	विवरण	इकाई	मात्रा	दर	राशि रूपये मय
1	नीव की खुदाई	क्यूबीक मीटर	3.888	LS	3500
2	नीव में पीसीसी 1:4:8	क्यूबीक मीटर	0.729	3500	2552
3	कॉलम के लिए आरसीसी 1:2:4	क्यूबीक मीटर	2.339	4500	10526
4	कॉलम की नोमिनल मजबूती के लिए	कि.ग्रा.	320	65	20800

5	संरचनात्मक स्टील कार्य	कि.ग्रा.	1200	65	780000
6	एस्बेस्टस/स्टील सीट की छत	वर्ग मीटर	83.2	400	33,280
7	सीट रिजेज	Rmt	12	250	3000
8	2"इंच व्यास 1/2 बांस की स्ट्रीप्स@ 3"C/C	घन मीटर	3.25	7200	23400
	योग				175057

- क्षमता अनुसार प्रोरेटा बेसिस पर सांकेतिक लागत के अनुसार अनुदान देय होगा।

10. कम लागत की प्याज/लहसुन भण्डारण संरचना का निर्माण के पश्चात भौतिक सत्यापन सहायक कृषि अधिकारी एवं संबंधित कृषि पर्यवेक्षक द्वारा किया जावेगा।
11. उक्त कमेटी की भौतिक सत्यापन रिर्पोट के आधार पर लाभार्थी को अनुदान की राशि आर. टी.जी.एस. के माध्यम से उपलब्ध कराई जावेगी।
12. कम लागत की प्याज/लहसुन भण्डारण संरचना पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगवाया जाना अनिवार्य होगा।

17. सब्जी उत्पादन (प्याज/लहसुन फसल) अनुदान दिशा–निर्देश

अनुदान प्रक्रियाः

4. प्याज/लहसुन फसल की खेती करने वाले इच्छुक कृषक को अनुदान का लाभ दिया जायेगा।
5. कृषकों को फसल विशेष (प्याज/लहसुन) के लिये पैकेज ऑफ प्रेक्टिसेज का लीफलेट/साहित्य उपलब्ध कराया जावें।
6. एक कृषक को अधिकतम 2 हैक्टेयर क्षेत्र तक प्याज/लहसुन फसल के नये क्षेत्र विस्तार पर प्रोरेटा बेसिस पर अनुदान देय होगा।
7. कृषकों को आदानों की कुल इकाई लागत 50000/– रूपये प्रति हैक्टर का 40 प्रतिशत की दर से प्रोरेटा बेसिस पर अनुदान देय होगा। बीज, समन्वित पोषक त्तव/कीट व्याधी प्रबंध इत्यादि आदानों की लागत पर अनुदान देय होगा।

आदान व्यवस्थाः

6. बीज एवं **Prophylatic Measures** के रूप में लिये जाने वाले बीज उपचार के रसायन/बायो एजेंट व ऐसे उपादान जिनका उपयोग प्याज/लहसुन सब्जी उत्पादन में किया जाना है कृषकों से 60 प्रतिशत अंशदान प्राप्त कर उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. उर्वरक, पौध संरक्षण व अन्य आदान/उपादान निर्धारित प्रपत्र में कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी/कृषि अधिकारी के द्वारा परमिट काटकर सहकारी संस्थाओ के माध्यम से 40 प्रतिशत अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जायेंगे।
8. कृषकों द्वारा सहकारी संस्थाओ से शत् प्रतिशत लागत पर आदान क्रय कर अनुदान के क्लेम्स विभाग को प्रस्तुत करने पर अनुदान राशि का भुगतान **DBT** प्रकिया द्वारा कृषकों को किया जायेगा।
9. कृषक 60 प्रतिशत अंशदान आपूर्ति संस्था को जमा कराकर आदान प्राप्त करने की स्थिति में अनुदान राशि का भुगतान संम्बंधित आपूर्ति संस्था को किया जावे।
10. कृषक को आदान उपलब्ध कराने के लिये कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी, (उद्यान/कृषि) द्वारा परमिट काटा जायेगा।
11. अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में एक कृषक/लाभार्थी को प्रोरेटा बेसिस पर अधिकतम 2.0 हैक्टेयर क्षेत्र के लिये 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा।

18. हाईब्रिड सब्जी उत्पादन अनुदान दिशा–निर्देश

अनुदान प्रक्रियाः

1. **Hybrid Vegetables (Tomato, sweet potato, alocasia, Bottle gourd, Squash, Zucchini, Bitter Gourd, Cauliflower, Cabbage, Broccoli, drumstick, Brussels, sprouts, French beans, Fabia beans, Peas green, Brinjal / Aubergines, Capsicum, Okra, Melons, Cucumber, Green Chilies, Carrot, Beet root, Turnip, Radish, knol kohl, kale, leafy vegetables etc)** की खेती करने वाले इच्छुक कृषक को अनुदान का लाभ दिया जायेगा ।
2. कृषकों को फसल विशेष के लिये पैकेज ऑफ प्रेक्टिसेज का लीफलेट/साहित्य उपलब्ध कराया जावें।
3. एक कृषक को अधिकतम 2 हैक्टेयर क्षेत्र तक हाईब्रिड सब्जियों के नये क्षेत्र विस्तार पर प्रोरेटा बेसिस पर अनुदान देय होगा।
4. कृषकों को आदानों की कुल इकाई लागत 60000/– रूपये प्रति हैक्टर का 40 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 2 हैक्टर के लिए प्रोरेटा बेसिस पर अनुदान देय होगा। बीज, समन्वित पोषक त्तव/कीट व्याधी प्रबंध इत्यादि आदानों की लागत पर अनुदान देय होगा।

आदान व्यवस्थाः

1. बीज एवं Prophylatic Measures के रूप में लिये जाने वाले बीज उपचार के रसायन/बायो एजेंट व ऐसे उपादान जिनका उपयोग प्याज सब्जी उत्पादन में किया जाना है कृषकों से 60 प्रतिशत अंशदान प्राप्त कर उपलब्ध कराये जायेंगे।
2. उर्वरक, पौध संरक्षण व अन्य आदान/उपादान निर्धारित प्रपत्र में कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी/कृषि अधिकारी के द्वारा परमिट काटकर सहकारी संस्थाओ के माध्यम से 40 प्रतिशत अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जायेंगे।
3. कृषकों द्वारा सहकारी संस्थाओ से शत् प्रतिशत लागत पर आदान क्रय कर अनुदान के क्लेम्स विभाग को प्रस्तुत करने पर अनुदान राशि का भुगतान **DBT** प्रकिया द्वारा कृषकों को किया जायेगा।
4. कृषक 60 प्रतिशत अंशदान आपूर्ति संस्था को जमा कराकर आदान प्राप्त करने की स्थिति में अनुदान राशि का भुगतान सम्बंधित आपूर्ति संस्था को किया जायेगा।
5. कृषक को आदान उपलब्ध कराने के लिये कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी, (उद्यान/कृषि) द्वारा परमिट काटा जायेगा ।
6. अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में एक कृषक/लाभार्थी को प्रोरेटा बेसिस पर अधिकतम 2.0 हैक्टेयर क्षेत्र के लिये 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा।

19. सेमीनार / वर्कशॉप (Seminar/ Workshop):

विभिन्न उद्यानिकी कार्यक्रमों की कृषकों को अधिक से अधिक जानकारी देने एवं उद्यानिकी गतिविधियों से जुड़े विभिन्न उद्यमियों को कृषकों से जोड़े जाने के लिये राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय सेमीनार/वर्कशॉप्स का आयोजन किया जाना है। सेमीनार/वर्कशॉप का आयोजन जिला विशेष की आवश्यक्ता के मध्येनजर विषय का चयन किया जाकर किया जा सकेगा। इस हेतु आवश्यक साकेंतिक माडल परिशिष्ठ 11 व 12 पर संलग्न है।

सेमीनार/वर्कशॉप्स का आयोजन विषयवार सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स/आई.एच.आई.टी.सी/आत्मा परियोजना कार्यालय में स्थापित प्रशिक्षण कक्ष/कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि अनुसंधान केन्द्र/एटीसी पर आयोजित करवाया जावें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे की किसी भी परिस्थिति में निजी स्थान अथवा हॉटल आदि किराये पर लिये जाकर सेमीनार/वर्कशॉप्स का आयोजित नही कराये जाये।

परिशिष्ठ–1

राष्ट्रीय बागवानी मिशन आवेदन प्रपत्र

उप/सहायक निदेशक उद्यान एवं सदस्य सचिव,
होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी
जिला ....

आवेदक का फोटो

विषय :– राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत अनुदान/सहायता प्राप्त करने हेतु।

महोद्वय,

मैं उद्यानिकी विकास हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदानित/ सहायता आधारित कार्यक्रम लेना चाहता हूं। विवरण निम्न प्रकार है–

1. कृषक/संस्था/आवेदक का नामः..
2. पिता का नामः ....
3. कृषक श्रेणी (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य):...
4. संस्था का प्रकार, यदि लागू है (सरकारी/पंजीकृत):..
5. पूर्ण पताः ग्राम..ग्राम पंचायत...
   तहसील...जिला...
6. दूरभाष नम्बर...
7. मोबाईल नम्बर...
8. कार्यक्रम का नाम जो लेना हैः..
9. आवेदक/कृषक के नाम कुल भूमि (हैक्टर):...
10. खसरा नम्बर जिसमें कार्यक्रम/गतिविधी लेनी हैः...
11. कार्यक्रम/गतिविधि का क्षेत्रफल या संख्याः..
12. सिंचाई का साधनः ....डीजल इंजन/मोटर हॉर्स पावरः...............................
13. मिट्टी व पानी की जॉच रिर्पोटः (यदि आवश्यक हो तो):...

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना सही है । योजना अन्तर्गत उक्त कार्यक्रम की कृषक हिस्सा राशि मैं स्वयं वहन करूंगा व कार्यक्रम/गतिविधि किसी अन्य को हस्तान्तरित या बेचना नहीं करूंगा। मैं यह सत्यापित करता हू की मैने इस कार्यक्रम के लिये किसी अन्य संस्था या योजना से सहायता प्राप्त नही की है ।

दिनांकः

हस्ताक्षर कृषक/संस्था प्रभारी

परिशिष्ठ–2

फलदार पौधों के जीवित्ता सत्यापन हेतु प्रपत्र

फसल .... (पौध रोपण के लिये एक वर्ष/दो वर्ष बाद माह मई–जून में)

क्र. सं.	नाम कृषक/पिता का नाम	ग्राम	विकास खण्ड	क्षेत्रफल	रोपित पौध संख्या	सत्यापन के दौरान जीवित पौध संख्या	प्रतिशत	सत्यापन दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	योग							

टीप. सत्यापन प्रतिवेदन, ग्रामवार, क्लस्टरवार एवं विकास खण्ड वार तैयार किया जावें

हस्ताक्षर

परिशिष्ठ–3

आदान परमिट प्रपत्र

प्रबन्धक,
क्रय–विक्रय सहकारी समिति / ग्राम सेवा सहकारी समिति
ग्राह्य परीक्षण केन्द्र / आईपीएम प्रयोगशाला
....

विषयः अनुदानित दर पर आदान उपलब्ध कराने बाबत्।

कृषक श्री ....पुत्र श्री ....जाति .... ग्राम ....पंचायत समिति .... जिला .... को राष्ट्रीय बागवानी मिशन के .... कार्यक्रम के अन्तर्गत .... प्रतिशत अथवा राशि रूपये ....प्रति हैक्टेयर के हिसाब से अनुदानित दर पर कृषक हिस्सा राशि प्राप्त कर निम्न आदान उपलब्ध करावें ।

क्र.स.	आदानों के नाम	आदान कुल मात्रा मय पैकिंग साईज
1.	उर्वरक / पोषक तत्व / बीज 1. .... 2. .... 3. .... 1.	
2.	पौध संरक्षण रसायन / बायो पैस्टीसाइड 1. . ... 2. .... 3. .... 4.	

- बिल के पृष्ठ भाग पर हस्ताक्षर करवाकर आदान कृषक को स्वयं को उपलब्ध करावें।
- अनुदान क्लेम्स के भुगतान हेतु 15 दिवस में बिल मय कृषक सूची प्रस्तुत करावें।
- कृषक द्वारा शत् प्रतिशत राशि जमा कराकर आदान प्राप्त करने पर तीन प्रतियों में बिल उपलब्ध करावें, ताकि वह विभाग को अनुदान के क्लेम्स प्रेषित कर सके।

हस्ताक्षर

कृषक हस्ताक्षर   कृषि पर्यवेक्षक / सहायक कृषि अधिकारी / कृषि अधिकारी
मुख्यालय.................................

परिशिष्ट-5

1. Name of Work:- Construction of Community Water Source Size 100.00x 100.00x 3.00 m. Capacity 30,000 Cum. With Cement Concrete lining.

2. BSR:- Water Resource Deptt. Jaipur Circle 2011,

MODEL ESTIMATE. (1)

	Particular's of Item.	Qty.	Rate	Amount.
1	Earth Work in excavation. Work to be executed by Machineries. Excavation including loading, unloading disposal & dressing of excavated earth within initial lead of 50m. and lift of 1.50m. in dry or moist, including dressing of excavated area, dewatering where ever required Complete in all respect Hard / Dense Soil. $\frac{106.13+94.13}{2} \times \frac{106.13+94.13}{2} \times 3.00$ 94.13 x 94.13 x 0.065 निकाल	30078.05 575.92 30653.97 cum.	59.00 / Cum	18,08,584.23
2	Cement Concrete (1:2:4) M-15 Well mixed and laid in position Complete including all leads of all Construction materials, including curing and finishing having well graded Crusher Broken Stone aggregate of maximum size upto 20mm. 94.13 x 94.13 x 0.065 $4 \times \frac{106.13+94.13}{2} \times 6.70 \times 0.065$ 2 x 108.00 x 1.00 x 0.065 2 x 106.00 x 1.00 x 0.065	575.92 174.42 14.04 13.78 778.16 Cum.	3897.00 / Cum.	30,32,489.52
3.	150 cm high fencing of pre-cast R.C. posts of 15cm x 15cm tapered to 10x10 cm. at top, placed at every 3 mt. apart, 30 cm in ground embedded in Cement Concrete 1:3:6		(श्री. आर. कड़वा) संयुक्त निदेशक उद्यान (सी.एस.एस.) उद्यान आयुक्तालय, जयपुर	

(2)

S. No.	Particulars of Item	Qty.	Rate	Amount
	(30x30x45cm) Corner and every tenth post to be strutted with same RC post, provided with 6 horizontal line and two diagonals of Black Barbed wire between the two posts fitted and fixed with G.I. Staples, Including earth work in excavation etc. Complete inclusive of dewatering wherever required. 4x108.00	432.00 m.	204.00 m.	88128.00
				Rs 49,29,201.75
	Deducting 10% Contractor's Profit (as work is to be executed by farmer)			(-) Rs 4,92,920.17
				44,36,281.58
			Say Rs 44.36 Lacs	

अधिशाषी अभियन्ता
जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण
पंचायत समिति, चूरू

(बी. आर. कड़वा)
संयुक्त निदेश उद्यान (डी.एस.एस)
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

COMMUNITY WATER SOURCE.

100.00 x 100.00 x 3.00 M, WITH C.C. LINING,

CAPACITY - 30,000 Cum.

OR - 3,00,00000 Liters.

(N.T.S.)

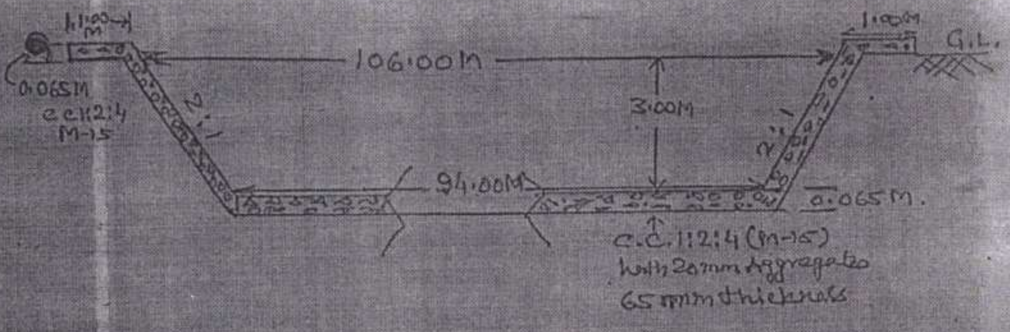

CROSS-SECTIONAL VIEW

अधिशाषी अभियन्ता
जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण
पंचायत समिति, चूरू

(पी. आर. कड़वा)
संयुक्त निदेशक उद्यान (सी.एस.एस)
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

1. Name of Work :- Construction of Community Water Source, Size 100.00 x 100.00 x 3.00 m. Capacity 30,000 Cum, with 500 micron Lining Sheet.

2. BSR :- Water Resource Deptt. Jaipur District 2014, & Rate approved by Department.

MODEL - ESTIMATE.

S. No.	Particulars of Item.	Qty.	Rate	Amount
1	Earth work in excavation. Work to be executed by machinaries. Excavation including loading, un-loading, disposal & dressing of excavated earth, within initial lead of 50 m. & lift upto 1.50 m, in dry or moist, including dressing of excavated area, dewatering where ever required. Complete in all respect. Hard / Dense Soil.			
	$\frac{106.00+94.00}{2} \times \frac{106.00+94.00}{2} \times 3.00$	30,000.00		
	2 x 109.50 x 0.75 x 0.75	123.18		
	2 x 108.00 x 0.75 x 0.75	121.15	59.00 Cum	17,84,436.12
		30244.68 Cum.		
2.	Supply & laying of Geo-membrane (BSR-15351/2015)			
	Bottom. 94.00 x 94.00	8836.00		
	Sides 4 x $\frac{106.00+94.00}{2}$ x 6.70	2680.00		
	2 x 109.50 x (1.00+0.75+0.75+0.75)	711.75		
	2 x 108.00 x (1.00+0.75+0.75+0.75)	702.00		
		12929.75		
	Adding 2% for overlapping +	258.59		
		13188.34 Sqm.	115.00 Sqm.	15,16,659.10
	(Rate 97.46 + 18% GST)			

(बी. आर. कड़वा) संयुक्त निदेशक उद्यान (सी.एस.एस) उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

S No	Particulars of Item.	Qty.	Rate	Amount
3.	150 cm, high fencing of pre-Cast R.C. posts of 15cm x 15cm tapered to 10x10 cm. at top, placed at every 3.00m. apart; 30 cm in ground embedded in Cement Concrete 1:3:6 (30x30x45cm) Corner and every [illegible] tenth, post to be Strutted with Same R.C. post, provided with 6 horizontal line and two diagonals of Black Barbed wire between the two posts fitted and fixed with G.I. staples, including earth work in excavation etc. Complete, inclusive of dewatering wherever required 4.29 110.00	--- 440.00 mt.	204.00 mt	89760.00
				Rs. 33,90,855.22
	Deduction 10% C.P. of Item No 1 & 3. (As work is to be executed by farmer) (10% of Rs 18,74,196.12)			(-) Rs 1,87,419.61
				Rs 32,03,435.61
				Say 32.035 Lacs

अधिशाषी अभियन्ता
जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण
पंचायत समिति, चूरू

(बी. आर. कड़वा)
संयुक्त निदेश उद्यान (सी.एस.एस.)
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

(3)

COMMUNITY WATER SOURCE

100·00 x 100·00 x 3·00M WITH HDPE SHEET LINING

CAPACITY – 30,000 Cum.
OR 3,00,00000 Liters.

(N.T.S.)

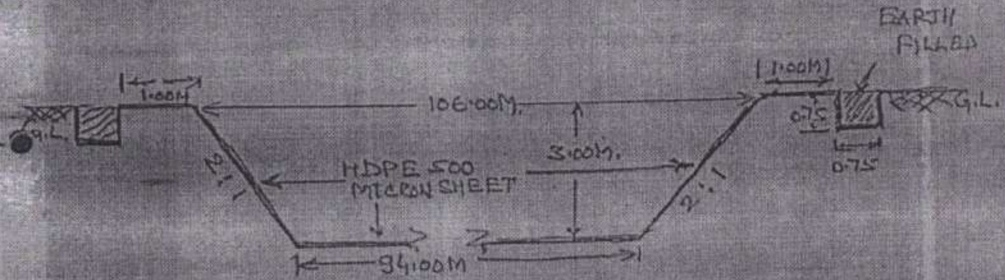

CROSS-SECTIONAL VIEW.

अधिशाषी अभियन्ता
जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण
पंचायत समिति, चूरू

(बी. आर. कड़वा)
संयुक्त निदेशक उद्यान (सी.एस.एस)
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

1. Name of Work :- Construction of Individual Water Source of Size 20.00x20.00x5.00 mt - 1200 Cum. Capacity with C.C. lining.

2. BSR :- Water Resource Deptt. Jaipur Distt. 2014.

MODEL - ESTIMATE. (1)

S. No.	Particular's of Item.	Qty	Rate	Amt.
1	Earth Work in excavation. Work to be executed by Machineries Excavation including loading, unloading, disposal & dressing of excavated earth within initial lead of 50 m & lift upto 1.50 m, in dry or moist, including dressing of excavated area, dewatering where ever required. Complete in all respect.			
	Hard / Dense Soil.			
	$\frac{23.13+17.13}{2} \times \frac{23.13+17.13}{2} \times 3.00$	1215.65		
	$17.13 \times 17.13 \times 0.065$	19.07		
		1234.72 Cum.	59.00 / Cum	72,848.48
2	Cement Concrete (1:2:4) M-15 well mixed and laid in position Complete, including all leads of all Construction materials including curing & finishing, having well graded crusher broken stone aggregate of maximum size upto 20 mm.			
	$17.13 \times 17.13 \times 0.065$	19.07		
	$4 \times \frac{23.13+17.13}{2} \times 4.24 \times 0.065$	22.19		
	$2 \times 25.00 \times 1.00 \times 0.065$	3.25		
	$2 \times 23.00 \times 1.00 \times 0.065$	2.99	3897.00 / Cum.	1,85,107.50
		47.50 Cum		
3	150 Cm. high fencing of pre Cast RC post of 15 cm x 15 cm. tapered to 10x10 cm. at top, placed at every 300 mt. apart, 30 cm in ground embedded in Cement Concrete 1:3:6 (30x30x45 cm) Corner and every tenth posts to			

(डी. आर. कड़वा)
संयुक्त निदेशक उद्यान (सी.एस.एस.)
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

S. No.	Particulars of Items	Qty.	Rate	Amount.
	to be Fitted with same Pre post, provided with 6 horizonal line & two diagonals of Black Barbed wire between the two posts fitted & fixed with G.I. Staples, including earth work in excavation etc. Complete. Inclusive of dewatering where ever required. 4 x 26.00	104.00 mt.	204.00	21,216.00
				Rs 2,79,171.98
	Deducting 10% C.P. (As Work to be executed by farmer)			(-) Rs 27,917.19
				Rs 2,51,254.79
			Say Rs	2.512 Lacs

अधिशाषी अभियन्ता
जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण
पंचायत समिति, चूरू

(बी. आर. कड़वा)
संयुक्त निदेशक उद्यान (सी.एस.एस)
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

(5)

INDIVIDUAL WATER SOURCE

20.00 x 20.00 x 3.00 M WITH C.C. LINING.

CAPACITY 1200 Cum.

OR 12,00000 Lits.

(N.T.S.)

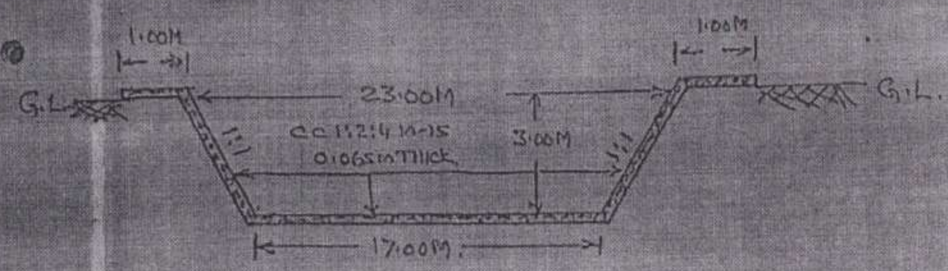

CROSS-SECTIONAL VIEW.

अधिशाषी अभियन्ता
जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण
पंचायत समिति, चूरू

(बी. आर. कड़वा)
संयुक्त निदेशक उद्यान (डी.एस.एस)
राज्य आयुक्तालय, जयपुर

(1)

1. Name of Work: - Construction of Individual Water Source.
Size 20.00x 20.00x 3.00 m. - 1200 Cum Capacity
with 300 micron HDPE Lining Sheet.

2. BSR :- Water Resource Deptt. Distt. Jaipur. 2014,

MODEL - ESTIMATE.

S. No.	Particular's of Item.	Qty.	Rate	Amount.
1.	Earth Work in excavation Work to be executed by machinaries. Excavation including loading, unloading, disposal & dressing of excavated earth, within initial lead of 50 m. and lift upto 1.50 m. in dry or moist, including dressing of excavated area, dewatering wherever required, Complete in all respect. Hard / Dense Soil.			
	$\frac{23.00+17.00}{2} \times \frac{23.00+17.00}{2} \times 3.00$,	1200.00		
	2 x 26.50 x 0.75 x 0.75	29.81.		
	2 x 25.00 x 0.75 x 0.75	28.25		
		1258.06 Cum	59.00 / Cum.	Rs. 74,225.54
2.	Supply & laying of HDPE Geo-membrane 300 micron.			
	Bottom - 17.00 x 17.00	289.00 Sqm		
	$4 \times \frac{23.00+17.00}{2} \times 4.24$	339.20		
	2 x 25.00 x (1.00+0.75+0.75+0.75)	162.50		
	2 x 23.00 x (1.00+0.75+0.75+0.75)	149.50		
		940.20 Sqm		
	Add 2% for overlapping +	18.80		
		959.00 Sqm.	82.60 / Sqm.	79 213.40
	(Rate 70.00/Sqm + 18% GST)			

(श्री. आर. कडवा)
संयुक्त निदेशक उद्यान (सी.एस.एस.)
प्रधान आयुक्तालय, जयपुर

66

S. No	Particular's of Item.	Qty.	Rate	Amount.
3.	150 cm. high fencing of pre-cast R.C. Posts of 15cm×15cm, tapered to 10×10 cm. at Top, placed at every 3 m. apart, 30cm in ground embedded in Cement Concrete 1:3:6 (30×30×45 cm), Corner and every tenth post to be strutted with same R.C. Post, provided with 6 rows horizontal line and two diagonals of Black Barbed wire between the two post fitted and fixed with G.I. Staples, including earth work in excavation etc. Complete inclusive of dewatering where ever required. 4×28.00	104.00 mt	204.00 / mt	21216.00
				Rs 1,74,654.94
	Deducting 10% C.P. in item No 1 & 3 C Rs 95441.54 (As work to be executed by farmers)			(-) Rs 9544.15
				Rs 1,65,110.79
		Say	Rs	1.651 Lacs

अधिशाषी अभियन्ता
भू प्रबंध विकास एवं भू-संरक्षण
पंचायत समिति, चूरू

(बी. आर. कड़वा)
संयुक्त निदेशक उद्यान (सी.एस.एस)
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

INDIVIDUAL WATER SOURCE.

SIZE 20.00 x 20.00 x 3.00 - 1200 Cum.

OR - 12,00000 Lits.

(N.T.S.)

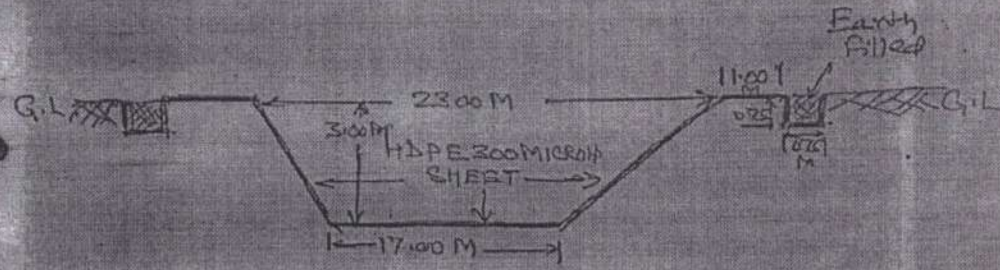

CROSS-SECTIONAL VIEW.

अधिशाषी अभियन्ता
जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण
पंचायत समिति, चूरू

(वी. आर. कड़वा)
संयुक्त निदेशक उद्यान (सी.एस.एस.)
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

FENCING WORK

(N.T.S.)

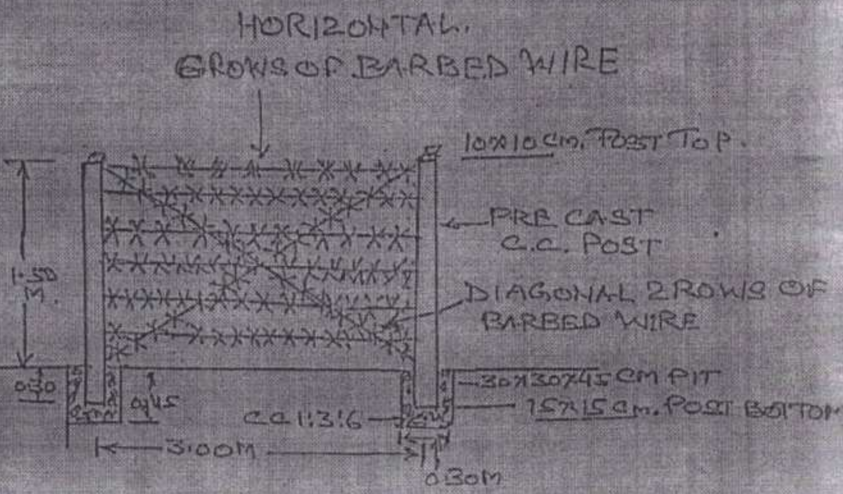

CROSS-SECTIONAL VIEW
OF FENCING

अधिशाषी अभियन्ता
जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण
पंचायत समिति, धुरू

(बी. आर. कड़वा)
संयुक्त निदेशक उद्यान (सी.एस.एस.)
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

Annexure -5

जरबेरा, कार्नेशन, गुलाब व लिलियम फूलों की सांकेतिक लागत

Cost in Rs. / Sqm

Flowers	Lilliums			Rose			Carnation			Gerbera		
	Unit	Rate	Amt	Unit	Rate	Amt	Unit	Rate	Amt	Unit	Rate	Amt
Soil Preparation			20			20			20			20
Soil Sterlization		L.S.	25		L.S.	25		L.S.	25		L.S.	25
Planting Material	22 nos./ sqm	Avg @ 12/ bulb	264	7 nos/ sqm	Avg @ 30/ plant	210	22 nos/ sqm	Avg @ 15/plant	330	7 nos/ sqm	Avg @ 40/plant	280
Organic (Vermicompost / Bonemeal / Neemcake etc)		L.S.	60		L.S.	70		L.S.	70		L.S.	70
Chemical Fertilizers		L.S.	30		L.S.	30		L.S.	40		L.S.	40
Rice husk, inert material etc		L.S.	22		L.S.	22		L.S.	22		L.S.	28
Preventive sprays		L.S.	15		L.S.	25		L.S.	25		L.S.	25
Support System		L.S.	0		L.S.	0		L.S.	64		L.S.	0
Grading, Sorting Packaging etc		L.S.	50		L.S.	60		L.S.	55		L.S.	60
Labour		LS.	40		L.S.	60		L.S.	80		L.S.	80
Total			**526**			**522**			**731**			**628**

L.S. (lump sum)

Annexure -6

हाई वैल्यू वैजिटेबल्स की सांकेतिक लागत

आदान / गतिविधि		लागत रूपये प्रति वर्ग मीटर	
		खीरा, टमाटर, चैरी टमाटर, शिमला मिर्च (हरी व रंगीन), मिर्च व अन्य हाई वेल्यू सब्जियां	रेड कैबेज, लेटयूस, लीक, जूकनी, पौरचुई, बैंगन, ब्रोकली, ब्रुसल्स स्प्राउट, कदूवर्गीय सब्जियां, भिण्डी व अन्य सब्जियां
भूमि की तैयारी / बैडस की तैयारी		6.00	5.00
मृदा निर्जमीकरण (फ्यूमिगेशन)		14.00	12.50
बीज / पौध रोपण सामग्री		25.00	7.00
खाद	FYM/ कम्पोस्ट / बोनमील / नीम केक	12.00	8.00
रसायनीक उर्वरक	NPK-19-19-19, 20-20-20, 19-19, 30-0-45, 12-61, 0-0-50, डी.ए.पी. यूरिया, सुपर फॉस्फेट, पौटेशियम सल्फेट, मैगनिशियम, कॉपर, जिंक, अन्य सूक्ष्म तत्व व जल विलियक उर्वरक आदि	12.00	7.50
पौध संरक्षण रसायन	नीम क्रेक, कार्बाफुरान, ट्राईकोडरमा व अन्य कीटनाशी व फफून्दनाशी रसायन आदि	12.00	6.25
मानव श्रम	बुवाई, खाद व उर्वरक प्रयोग, निराई–गुड़ाई, सिंचाई व पौध संरक्षण रसायन छिड़काव / प्रयोग, फसल तुड़ाई / कटाई आदि	41.00	20.00
अन्य सभी सहायक सामग्रीयां		18.00	3.75
धागा		4.00	0.00
मल्च		6.00	5.00
योग		**150.00**	**75.00**

परिशिष्ट 7

राजस्थान सरकार

उद्यान निदेशालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांकःप 21() एम.डी / एन.एच.एम / [illegible] /Part-1/2018-19/ 5108-58 दिनांक 11/10/18

उप / सहायक निदेशक उद्यान, जिला ....

विषय :– ग्रीन हाउस व शैडनेट हाउस अंतर्गत अधिक मूल्य वाली सब्जियो एवं फूलो की पौधरोपण सामग्री पर अनुदान के क्रम में।

प्रसंग :– उद्यान निदेशालय के समसंख्यक पत्रांक 1520–81 दिनांक 09.09.2016 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संरक्षित खेती कार्यक्रम अंतर्गत ग्रीन हाउस व शैडनेट हाउस में हाई वैल्यू वेजिटेबल्स एवं फूलों की रोपण सामग्री व काश्त पर अनुदान हेतु प्रासंगिक पत्र के क्रम में सीडलेस खीरे व खरबूजे पौध रोपण सामग्री तथा इस हेतु जल विलयक रासायनिक उर्वरक व वांछित पौध संरक्षण रसायन हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

1. ग्रीन हाउस व शैडनेट हाउस की पौध रोपण सामग्री व काश्त हेतु अनुदान कार्यक्रम में कृषकों द्वारा स्वयं के स्तर से खीरा व खरबूजे की अपनी किस्म के बीज बाजार से क्रय कर उपयोग में लेने का बिल प्रस्तुत करने पर योजना प्रावधानानुसार अनुदान का लाभ दिया जा सकेगा, अन्य हाई वैल्यू वेजिटेबल्स व फूलों में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पौध रोपण सामग्री प्राप्त करने पर ही [illegible] होगा।
2. कृषकों द्वारा ग्रीन हाउस व [illegible] खेती में उपयोग आने वाले जल विलय उर्वरक व पौध संरक्षण रसायन अपनी आवश्यकतानुसार इच्छित ब्राण्ड के स्वयं के स्तर से बाजार से क्रय कर उपयोग में लेने का बिल प्रस्तुत करने पर योजना प्रावधानानुसार अनुदान का लाभ दिया जा सकेगा।
3. उपरोक्त हेतु यह प्रक्रिया निर्धारित की जाती है कि उक्त के लिए इच्छुक कृषक योजना कार्यक्रम में प्रावधानानुसार अपने जिले के संबंधित उप / सहायक निदेशक उद्यान कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र व प्रक्रिया अनुसार अपना आवेदन प्रस्तुत करें। संबंधित जिला अधिकारी द्वारा वरीयता के अनुसार आवंटित लक्ष्यो के अधीन योजना दिशा निर्देशानुसार ग्रीन हाउस व शैडनेट हाउस के क्षेत्रफल के अनुसार बीज व जलविलय उर्वरक तथा पौध संरक्षण रसायन की मात्रा की स्वीकृति जारी करें तदनुसार

(वी. आर. कडवा)

संयुक्त निदेशक उद्यान (सी.एस.एस.)

उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

[illegible] Hindi Letter

68

कृषक द्वारा आदान क्रय कर बिल प्रस्तुत करने पर नियमानुसार सत्यापन कार्यवाही उपरान्त अनुदान जारी किया जावेगा।

अतः उक्त अनुसार योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन किया जाकर प्रगति से अवगत करावें।

निदेशक उद्यान
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:प 210 एन.डी./एन.एच.एम./बी/पीएच एच सी/Pan-I/2018-19/ दिनांक 11/10/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. संयुक्त निदेशक उद्यान संभाग– जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
2. उप निदेशक उद्यान संभाग– भरतपुर/श्रीगंगानगर/जालौर/भीलवाड़ा/उदयपुर/सीकर

निदेशक उद्यान
राजस्थान, जयपुर

(पी. आर. कड़वा)
संयुक्त निदेशक उद्यान (सी.एस.एस.)
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

E/Rajkumar/raj Hindi Letter

परिशिष्ठ -8

Technical Specifications for bee box, bee colony & bee keeping kit

S.N	Items	Capacity, Specification and Material
1	Bee box, (Super)	1. Kael/Teak/Toon/Any seasoned wood body. Bottom board (560mmX 413mm), Brood Chamber (L. 508mm X W.413mm X H.242mm) , super chamber inner cover (560mm X 413mm) and top cover. 2. Double storey box with 20 frames, 10 in each storey. 3. Entire body in White color paint. 4. Total wood used in construction shall measure 1.5 CFT with super .
2	Bee Colony (Apis mellifera)	1. Specification of a bee colony consists of eight wooden frames filled with eggs, larvae, pupa, a pragnant queen of Apis mellifera species, at least one of these eight frames is filled with pupa and at least one frame should be filled with eggs, larvae and the frame should also contain honey. All frames should be completely fille with colony. 2. The age of queen should not be more then one year. 3. Sufficient food and brood must be included in all frames.
		3. Bee keeping kit
(i)	Honey extractor-8 frame mannual	Hand operated, mild steel 24 guage thickness, Height 28.5 " , Dia. 27.5", gear hard mild steel made
(ii)	Hony extraction net	size- 12'x12' Material pvc mesh , pvc cloth top
(iii)	Bee Hives stand	size -16"x20" height-8", weight-1.25 kg (painted)
(iv)	Bee feeder	plastic made Lenght-19.5" Width-1.75" Depth-4.5" capacity-1 kg feed
(v)	Bee Veill	Iron made ring (13" dia), Cloth & net made net
(vi)	Smoker	Stainless stell made height-11" Dia-4" With skin protector
(VII)	Uncapping knife	SS/GI sheet made blade length-7" blade Width-2" Overall Length 12" With plastic handle
(viii)	Hive tool	Large with hook end, steel made Length-9" Width-1.5" Thickness- 10mm
(ix)	Hand Gloves	PVC Rubber with internal canvas (sizes, S, M, L, XL, XXL)
(x)	Bee brush	Wooden made, length-14", Width-3", Height-1.0", nylon/PVC bristles 7" area, 5 line with length of bristles Height-6cm

(xi)	Honey Tray with Net	Size 4' X2' height-9' G.I.Sheet Made
(xii)	Food Grade Bucket for honey store	30 kg capacity, plastic food grade, white colour
(xiii)	Queen Cage (Queen protector)	plastic made Dia-1", length-2.5"
(xiv)	Queen Gate	Plastic made length-4", Height-22mm, thickness-4.8mm whole
(xv)	Hive Gate	plastic made length-4", Height-22mm, thickness-4.8mm whole

Work manship

I. **Finish:**

The different part of the bee hives shall have a smooth finish with the edges trimmed square and smooth. Parts of the bee hive exposed directly to weather shall be painted with a sutable protective paint. The paint shall be non-toxic and shall not have any odour disagreeable to the bees. The colour of the paint shall be white.

II. **Joints:**

All joints shall be sound and shall withstand normal use. Walls of chambers and roof shall be jointed by special box corner joints or finger joints or dovetail joints or tongue and groove joints properly nailed.

When the use of nails for joints is specified, there shall be one nail at each end. The distance between tow consecutive nails shall be not more than 75 mm.

Packing and Marking:

I. **Packing:**

Bee hive parts shall be packed according to trade practices in such a way as to protect them from damage in transit and during storage.

II. **Marking:**

The floowling information shall be engraved

a) Name of the manufacturer and

b) Govt. Subsidy year.

परिशिष्ट-09

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 6(1) कृषि I/MC/2000 जयपुर, दिनांक 26.08.06

आदेश

राज्य के मधुमक्खी पालको द्वारा गर्म मौसम में मधुमक्खी कॉलोनियों को अन्य राज्यों के शीत क्षेत्रों में ले जाने (परिवहन) हेतु मधुमक्खी माईग्रेशन प्रमाण-पत्र (परिशिष्ठ-अ) जारी करने हेतु क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), उप निदेशक कृषि (विस्तार) / उद्यान एवं सहायक निदेशक उद्यान को एतद द्वारा अधीकृत किया जाता है।

उप शासन सचिव,
कृषि (ग्रुप-1) विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प. 6(7) कृषि I/MC/2000 दिनांक 26.08.06

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः –

1. निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, कृषि, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक उद्यान, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), खण्ड भरतपुर / जयपुर / कोटा / भीलवाडा / उदयपुर / सीकर / गंगानगर / जोधपुर।
4. उप निदेशक कृषि (विस्तार), भरतपुर / धौलपुर / अलवर / सवाई माधोपुर / करौली /दौसा / जयपुर /टोंक /कोटा / बारां / झालावाड / अजमेर / भीलवाडा /चित्तौड / उदयपुर / डूंगरपुर / बांसवाडा / पाली / सिरोही / जोधपुर / गंगानगर / हनुमानगढ।
5. उप निदेशक उद्यान, कोटा / जोधपुर।
6. सहायक निदेशक उद्यान, भरतपुर / अलवर / दौसा / सवाई माधोपुर / जयपुर / टोंक / कोटा / बारां / झालावाड / अजमेर / भीलवाडा /चित्तौड / उदयपुर / बांसवाडा / पाली / जोधपुर / गंगानगर / हनुमानगढ।

उप शासन सचिव,
कृषि (ग्रुप-1) विभाग
राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ठ–10

मधुमक्खी माईग्रेशन प्रमाण पत्र

मधुमक्खी पालक का प्रमाणित करते हुये फोटो

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक .... दिनांक .... के अनुसरण में श्री .. .. पुत्र/पुत्री श्री .... ग्राम .... ग्राम पंचायत ....हसील .... जिला .... मधुमक्खी पालक पंजीकरण नम्बर .... को रबी मौसम की फसलों की पकने की अवस्था से ही उनकी मधुमक्खी कॉलोनियों को देश के उत्तर शीत क्षेत्र में ले जाने के लिये यह मधुमक्खी माईग्रेशन प्रमाण–पत्र एतद् द्वारा जारी किया जाता है।

संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार)/
उप निदेशक उद्यान/
सहायक निदेशक उद्यान
दूरभाष न. कार्यालय
निवास

परिशिष्ठ–11

कृषक प्रशिक्षण हेतु मदवार सांकेतिक लागत का विवरण

अ. प्रशिक्षणार्थियों की संख्या – 50

ब. बजट प्रावधान : 0.50 लाख रूपयें प्रति 50 कृषक एक दिवसीय प्रशिक्षण

स. लागत का सांकेतिक विवरण–

आईटम	वित्तीय प्रावधान (रूपये में)
1. कृषकों का आने –जाने का किराया – वास्तविक किराया या अधिकतम 200/– रूपये प्रति कृषक दोनों में से जो भी कम हो	10000.00
2. चाय नाश्ता – 40/– रूपये प्रति कृषक	2000.00
3. लॉजिंग बोर्डिगं– 200 /– रूपये प्रति कृषक	10000.00
4. प्रशिक्षण साहित्य, पैन , डायरी इत्यादि – 400 /– रूपये प्रति कृषक	20000.00
5. प्रशिक्षण व्यवस्था, प्रचार प्रसार एवं विविध व्यय	5000.00
6. अतिथि व्याख्याताओं को मानदेय – 500/– रूपये प्रति व्याख्यान (6)	3000.00
योग	50000.00

किसी एक मद में राशि की बचत होने पर अन्य मद में बजत राशि व्यय की जा सकेगी।

परिशिष्ठ–12

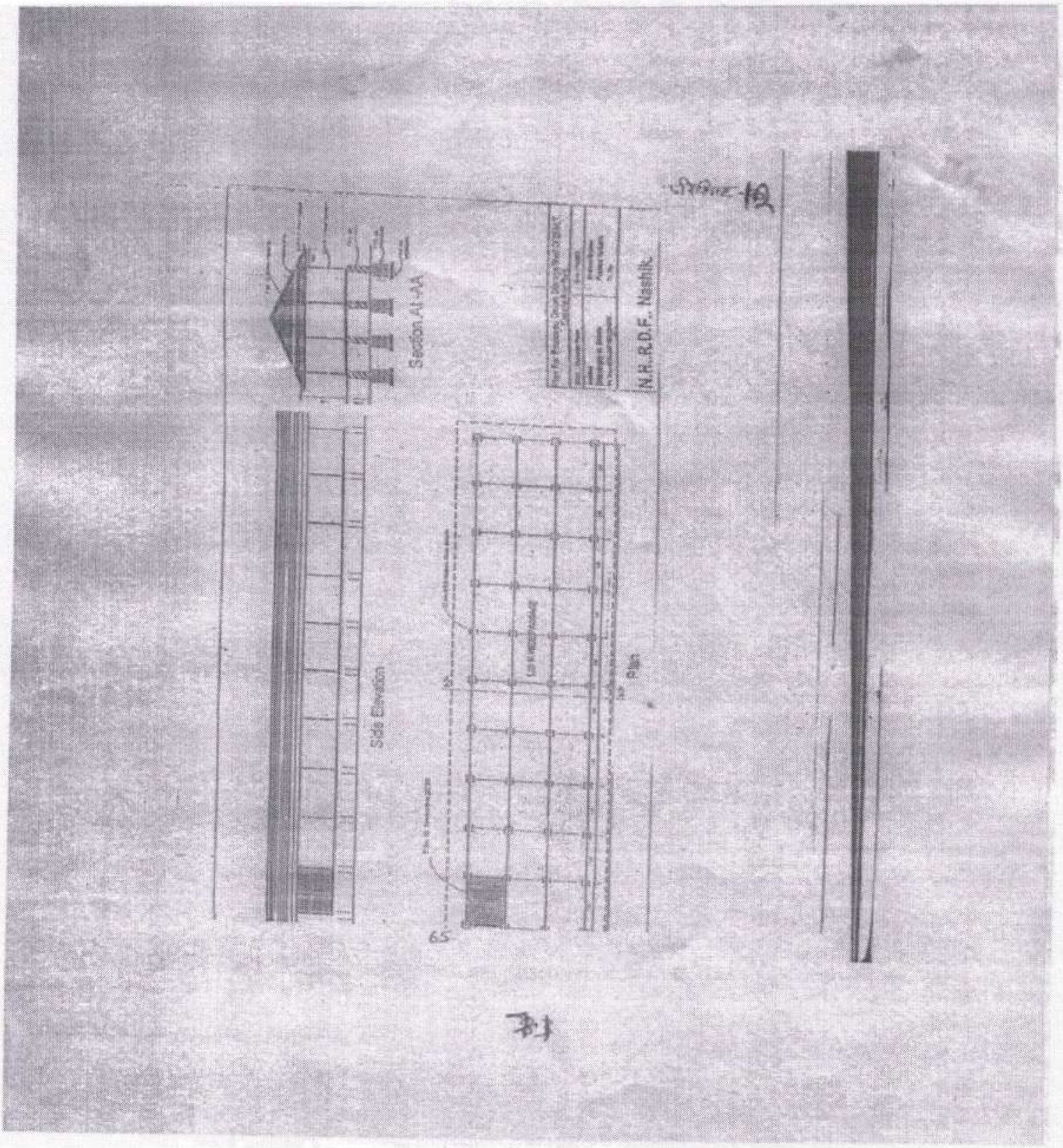

परिशिष्ठ–13

जिला स्तरीय सेमीनार आयोजन हेतु मदवार सांकेतिक लागत का विवरण

1. जिला स्तरीय सेमीनार आयोजन कार्यक्रम

अ. बजट प्रावधान– 2.00 लाख रूपये
ब. कृषको की संख्या– 100
स. सेमीनार अवधी– 2 दिवस
द. लागत का सांकेतिक विवरण–

आईटम	वित्तीय प्रावधान (रूपये में)
1. कृषकों का आने –जाने का किराया – वास्तविक किराया या अधिकतम 200 / – रूपये प्रति कृषक दोनों में से जो भी कम हो	20000.00
2. चाय–नाश्ता, लंच व डिनर – 300 / – रूपये प्रति कृषक प्रति दिन	60000.00
3. लॉजिंग बोर्डिगं– 300 / – रूपये प्रति कृषक	30000.00
4. प्रशिक्षण साहित्य, पैन , डायरी इत्यादि – 350 / – रूपये प्रति कृषक	35000.00
5. प्रचार प्रसार	10000.00
6. अतिथि व्याख्याताओं को मानदेय – 1000 / – रूपये प्रति व्याख्यान (10 अतिथि व्याख्यान)	10000.00
विविध व्यय	20000
हॉल का किराया	10000
अतिथि व्याख्याताओं का आने जाने का वास्तविक किराया (Entitlement के अनुसार)	5000
योग	200000

किसी एक मद में राशि की बचत होने पर अन्य मद में बजत राशि व्यय की जा सकेगी।

परिशिष्ठ–14

राज्य स्तरीय सेमीनार आयोजन हेतु मदवार सांकेतिक लागत का विवरण

1. जिला स्तरीय सेमीनार आयोजन कार्यक्रम

अ. बजट प्रावधान– 3.00 लाख रूपये
ब. कृषको की संख्या– 100
स. सेमीनार अवधी– 2 दिवस
द. लागत का सांकेतिक विवरण–

आईटम	वित्तीय प्रावधान (रूपये में)
1. कृषकों का आने –जाने का किराया – वास्तविक किराया या अधिकतम 500/– रूपये प्रति कृषक दोनों में से जो भी कम हो	50000.00
2. चाय–नाश्ता, लंच व डिनर – 500/– रूपये प्रति कृषक प्रति दिन	100000.00
3. लॉजिंग बोर्डिगं– 300 /– रूपये प्रति कृषक	30000.00
4. प्रशिक्षण साहित्य, पैन , डायरी इत्यादि – 400 /– रूपये प्रति कृषक	40000.00
5. प्रचार प्रसार	10000.00
6. अतिथि व्याख्याताओं को मानदेय – 1000/– रूपये प्रति व्याख्यान (10 अतिथि व्याख्यान)	10000.00
विविध व्यय	20000
हॉल का किराया	10000
अतिथि व्याख्याताओं का आने जाने का वास्तविक किराया (Entitlement के अनुसार)	30000
योग	300000

किसी एक मद में राशि की बचत होने पर अन्य मद में बजत राशि व्यय की जा सकेगी।

INDICATIVE UNIT COST FOR AREA EXPANSION OF SELECTED FRUIT CROPS:

(Rupees per hectare)

Crop	Plant spacing (m)	No. of Plants/ ha	Cost of planting material	Cost of inputs	Total cost without integration
Almond	3.0 × 3.0	1111	200000	100000	300000
Aonla	6.0 × 6.0	278	12010	36000	48010
	4.0 × 5.0	500	21600	38400	60000
	3.0 × 3.0	1110	47952	108000	155952
Apple	6.0 × 6.0	278	55600	69400	125000
	4.0 × 4.0 (RS- MM 111)	625	87500	35000	122500
	3.5 × 3.5 (RS- MM 111)	814	90000	35000	125000
	3.0 × 3.0 (RS- MM106)	1111	95000	35000	130000
	3.0 × 1.5 (RS- M9)	2222	400000	100000	500000
	2.5 × 2.5 (RS- MM 106)	1600	96000	35000	131000
	1.5 x 1.5 (RS- M9)	4444	50000	25000	75000
Apricot	4.0 X 4.0	625	45000	38400	83400
	3.5 X 3.5	816	58752	42000	100752
Avacado	6.0 x 6.0	278	33360	262500	295860
Banana (Sucker)	2.0 × 2.0	2500	90000	20000	110000
Banana (TC)	1.8 × 1.8	3086	100000	75000	175000
	1.5 × 1.5	4444	140000	75000	215000
Ber	6.0 X 6.0	278	10008	24000	34008
	5.0 X 5.0	400	14400	27600	42000
	4.0 X 4.0	625	22500	30000	52500
Cherry	4.0 X 4.0	625	22500	38400	60900
Custard apple	2.5 X 2.5	1600	76800	50400	127200
Date Palm			250000	150000	400000
Dragon Fruit	2.0 x 2.0	4625	161875	513750	675625
Fig	4.0 X 4.0	625	22500	38400	60900
	2.5 X 2.5	1600	57600	42000	99600
Grapes	4.0 x 4.0	625	11250	117600	128850
	3.0 × 3.0	1110	19980	120000	139980
	3.0 × 2.0	1666	29988	132000	161988

Scanned with OKEN Scanner

Appendix I (contd.)

	1.8 × 1.8	2777	49986	138000	187986
Passion fruit	4.0 x 4.0	625	15000	117600	132600
	3.0 × 3.0	1111	26664	120000	146664
	3.0 × 2.0	1666	39984	132000	171984
Papaya	1.8 X 1.8	2777	49986	24000	73986
	1.5 X 1.5	4444	79992	26400	106392
Peach	3.0 X 2.5	1333	55986	54000	109986
	2.5 X 2.5	1600	56000	60000	116000
Pear	5.0 X 5.0	500	18000	27600	45600
	4.0 X 4.0	625	22500	36000	58500
	3.0 X 3.0	1111	39996	48000	87996
Plum	3.5 X 3.5	816	39168	42000	81168
	2.5 X 2.5	1600	76800	50400	127200
Sapota	5.0 X 5.0	400	17280	37200	54480
Kiwi	6.0 × 6.0	278	8340	36000	44340
	4.0 × 6.0	555	12480	120000	132480
	4.0 × 5.0	1111	15000	138000	153000
	4.0 × 4.0	2222	18750	144000	162750
Strawberry	0.9 x 0.45	24691	148146	66000	214146
	0.6 x 0.25	66666	399996	60000	459996
	0.5 x 1.0	2000	12000	120000	132000
Lime & Lem-ons	3.0 × 3.0	1111	150000	50000	200000
	4.0 × 4.5	555	95000	30000	125000
Mandarine / Orange	6.0 × 6.0	278	77840	30000	107840
	5.4 × 5.4	343	96040	30000	126040
	5.0 × 5.0	400	112000	30000	142000
	5.0 × 4.5	444	124320	30000	154320
	4.5 × 4.5	494	138320	50000	188320
	4.0 × 5.0	500	140000	50000	190000
Sweet orange	6.0 × 6.0	278	95000	30000	125000
Guava	6.0 × 6.0	278	19460	30000	49460
	3.0 × 6.0	555	38850	30000	68850
	3.0 × 3.0	1111	77770	50000	127770
	1.5 x 3.0	2222	155540	100000	255540

Scanned with OKEN Scanner

	1.0 x 2.0	5000	200000	100000	300000
	4.0 × 4.0	625	43750	100000	143750
Litchi	10.0 x 10.0	100	10000	30000	40000
	7.5 x 7.5	178	17800	30000	47800
	6.0 x 6.0	278	27800	50000	77800
	4.5 x 4.5 x 9.0	329	32900	100000	132900
Logan	7.5 x 7.5	177	38940	73750	112690
Mango	10.0 x 10.0	100	10000	30000	40000
	5.0 × 5.0	400	40000	50000	90000
	4.0 × 6.0	416	41600	50000	91600
	3.0 × 6.0	555	55500	50000	105500
	3.0 × 4.0	833	83300	50000	133300
	2.5 × 2.5	1600	160000	100000	260000
Macadamia Nut	8.0 x 8.0	155	46500	71250	117750
Pineapple (Sucker)	0.6 × 0.3	45000	162000	27600	189600
Pineapple (TC)	0.6 × 0.3	45000	216000	41400	257400
	0.3 × 0.6 × 0.9	43000	206400	41400	247800
	0.225 × 0.6 × 0.9	53000	254400	67200	321600
Pomegranate	5.0 × 5.0	400	50000	48000	98000
	5.0 × 4.0	500	62500	60000	122500
	5.0 × 3.0	667	83375	80040	163415
	5.0 × 2.5	800	100000	96000	196000
	4.5 × 3.0	741	92625	88920	181545
	4.0 × 3.0	666	83250	79920	163170
Rambutan: Seedling	10.0 x 10.0	100	4000	40000	44000
	12.0 x 12.0	70	2800	40000	42800
Rambutan: Veg. propagated	8.0 x 8.0	160	16000	42000	58000
	8.0 x 6.0	208	20800	42000	62800
Persimmon	6.0 x 6.0	280	56000	45000	101000
	4.0 x 4.0	625	125000	45000	170000
Durian	6.0 x 6.0	280	47600	45000	92600
	10.0 x 10.0	100	17000	40000	57000

Scanned with OKEN Scanner

Appendix I (contd.)

Mangosteen	8.0 x 8.0	160	16000	42000	58000
	4.5 x 4.5	494	49400	137500	186900
Phalsa	3.0 x 3.0	1111	44440	48000	92440
Tamarind	7.0 x 7.0	204	32640	155625	188265
Jamun: Conventional	8.0 x 8.0	156	12480	42000	54480
	6.0 x 6.0	280	22400	45000	67400
Jamun: High Density	5.0 x 5.0	400	32000	45000	77000
Bael	5.0 x 5.0	400	24000	11800	35800
Karonda	5.0 x 5.0	400	16000	45000	61000
Jackfruit	12.0 x 12.0	70	11900	40000	51900
	10.0 x 10.0	100	17000	40000	57000
Khirni: Conventional	12.0 x 12.0	70	5600	40000	45600
	10.0 x 10.0	100	8000	40000	48000
	8.0 x 8.0	156	12480	42000	54480
High Density	5.0 x 5.0	400	32000	45000	77000
Garcinia	5.0 x 5.0	400	16000	45000	61000
Hanuman phal	5.0 x 5.0	400	16000	45000	61000
Carambola	5.0 x 5.0	400	40000	45000	85000
Walnut	6.0 x 6.0	278	166800	100000	266800
	5.0 x 5.0	400	240000	160000	400000

Scanned with OKEN Scanner